



सहकार से समृद्धि

प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नए पहलुओं के बारे में जागरूकता

बहुराज्य सहकारी बीज सोसाइटी



राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)
National Council For Cooperative Training
(An Autonomous Society Promoted by Ministry of Cooperation, Government of India)



*List of Articles/Editorials on
Multi-State Cooperative Society on Seed*

Index Page

Newspaper	Language	Newspaper	Edition	Date of Publication	Contributor	Index Page No.
Kerala	Malayalam	Malayalam Manorama	Kerala	12.01.2023	ICM, Thiruvananthapuram	1.
Kerala	Malayalam	Kerala Koumidi	Kerala	12.01.2023	ICM, Thiruvananthapuram	2.
Kerala	Malayalam	Mathrubhumi	Kerala	12.01.2023	ICM, Thiruvananthapuram	3.
Kerala	Malayalam	Deshabhimani	Kerala	12.01.2023	ICM, Thiruvananthapuram	4.
New Delhi	English	Business Line	New Delhi	14.01.2023	Shri Prabhudatta Mishra, Sr. Journalist	5.
Chandigarh	Punjabi	Rozana Spokesman	Chandigarh	17.01.2023	RICM, Chandigarh	6.
Chandigarh	Hindi	VNC Media News	Chandigarh	17.01.2023	RICM, Chandigarh	7.
Odisha	Odiya	Bhiswbani Daily News Paper	Bhubaneswar	18.01.2023	MICM, Bhubaneswar	8.
Odisha	Odiya	Utkal Mail (Odia Daily Newspaper)	Bhubaneswar & Rourkela	18.01.2023	MICM, Bhubaneswar	9.
Manipur	English	The Sangai Express	Imphal	18.01.2023	ICM Imphal	10.
Chandigarh	English	VNC Media News	Chandigarh	19.01.2023	RICM, Chandigarh	11.
Chandigarh	Punjabi	Rozana Spokesman	Chandigarh	19.01.2023	RICM, Chandigarh	12.
Madhya Pradesh	Hindi	Pradesh Times	Bhopal	19.01.2023	ICM, Bhopal	13.
Tamil Nadu	Tamil	Madurai Minutes	Madurai	19.01.2023	ICM, Madurai	14.
Uttar Pradesh	Hindi	CMG Times	Lucknow	19.01.2023	IGICM, Lucknow	15.

Manipur	Manipuri	Hueiyen Lanpao	Imphal	20.01.2023	ICM, Imphal	16.
Tamil Nadu	Tamil	DINAKARAN Tamil Daily	Tamil Nadu	20.01.2023	ICM, Madurai	17.
Uttar Pradesh	Hindi	Bharat Ekta Times	Varanasi Edition	20.01.2023	IGICM, Lucknow	18.
Uttar Pradesh	Hindi	Rashtriya Sahara	Varanasi Edition	20.01.2023	IGICM, Lucknow	19.
Uttar Pradesh	Hindi	UPCM News	News Agency https://upcmnews.com/a-commendable-step-towards-prosperity-from-multi-state-co-operative-society/	20.01.2023	IGICM, Lucknow	20.
Uttarakhand	Hindi	दैनिक जन लहर	Dehradun	19.01.2023	आईसीएम, देहरादून	21.
Rajasthan	Hindi	Prathakal Daily	Jaipur	20.01.2023	ICM, Jaipur	22.
Uttar Pradesh	Hindi	Nishpaksh Divya Sandesh	Lucknow	21.01.2023	IGICM, Lucknow	23.
Uttar Pradesh	Hindi	Public Asia	Lucknow	21.01.2023	IGICM, Lucknow	24.
Uttar Pradesh	Hindi	Bareilly Ki Awaz,	Bareilly	21.01.2023	IGICM, Lucknow	25.
Assam	Assamese	Asom Aditya	Assam	21.01.2023	Shri Alakesh Chakrabarty, Cooperative Officer, Government of Assam	26.
Andaman & Nicobar	English	Daily Telegrams	Andaman & Nicobar	21.01.2023	RICM, Kalyani	27.
Tamil Nadu	English	Business Minutes	Chennai	22.01.2023	NICM, Chennai	28.
Gujarat	English	Economic Times	Ahmedabad	22.01.2023	URICM, Gandhinagar	29.
Madhya Pradesh	Hindi	Nature India	Bhopal	22.01.2023	ICM, Bhopal	30.
Andaman & Nicobar	English	Dweep Samachar	Andaman & Nicobar	23.01.2023	RICM, Kalyani	31.
Kerala	Malayalam	Prabhat Varta	Kerala	23.01.2023	ICM, Kannur	32.
Chhattisgarh	Hindi	दैनिक श्रमबिन्दु	दुर्ग- भिलाई	29.01.2023	श्री लखन लाल साहू	33.

ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് 3 ദേശീയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

രാജീവ് മേനോൻ

ന്യൂഡൽഹി • കർഷകർക്കായി വിത്ത് ലഭ്യമാക്കാനും ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹനം, കാർഷികോൽപന്ന കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുമായി 3 ദേശീയ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തു സഹകരണ സംഘ നിയമ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ സൊസൈറ്റികളിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ജില്ല-സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലങ്ങളിലുള്ള ഫെഡറേഷനുകൾ, മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ, കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങി പ്രാഥമിക തലമുതൽ ദേശീയ തലവരെയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അംഗമാകാമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു.

ചരക്കുകളുടെ സംസ്കരണവും രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതും സഹകരണ മേഖലയിൽ അധിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉൽപാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്,

ലേബലിങ്, പാക്കേജിങ്, വിപണനം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഉന്നത സംഘടനയായി വിത്ത് സംബന്ധിച്ച ദേശീയ സഹകരണ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തിക്കും. തന്ത്രപരമായ ഗവേഷണവും വികസനവും; തദ്ദേശീയമായ പ്രകൃതിദത്ത വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും വികസിപ്പിക്കും. ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സംയോജനം, പരിശോധന, സമാഹരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്, ലേബലിങ്, പാക്കേജിങ്, ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്ക് ദേശീയ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് സഹകരണ സംഘം മുൻഗണന നൽകും. പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗത്വ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കു സഹകരണസംഘം വ്യവസ്ഥാപിത പിന്തുണ നൽകും. അംഗീകൃത ജൈവോൽപന്ന പരിശോധനാ ലാബുകളേയും അംഗീകൃതസ്ഥാപനങ്ങളെയും എംപാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Title : For Promoting Organic Farming three National Cooperative Societies are formed
 News Paper - Malayalam Manorama, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 11 | Circulation - 20,54,893

സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കായി ദേശീയ സൊസൈറ്റി വരും

ന്യൂഡൽഹി: സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതി, ജൈവോത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം, വിത്തു ശേഖരണം വിപണനം തുടങ്ങിയവ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ സഹകരണ കയറ്റുമതി സൊസൈറ്റിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി.

കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സഹകരണസംഘങ്ങൾ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വില ഉറപ്പാക്കും. കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് സഹകരണമേഖലയിലെ ചരക്ക്-സേവന ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.



വിത്തുകൾ

■ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉത്പാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിംഗ്, ലേബലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ശേഖരണം, വിപണനം, വിതരണം, ഗവേഷണം, വികസനം തുടങ്ങിയവയിൽ സഹായം

■ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും, കേന്ദ്രീകൃത ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (ഐ.സി.എ.ആർ), നാഷണൽ സിവിൽ കോർപ്പറേഷൻ (എൻ.എസ്.സി

) എന്നിവയുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും.

■ തദ്ദേശീയ വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും അക്ഷക്സ് സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കും.

■ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അംഗമാകാം. സൊസൈറ്റി ബോർഡിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ.

ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾ

■ ആഭ്യന്തര, ആഗോളവിപണികളിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും ഉപഭോഗസാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കും.

■ ജൈവോത്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിംഗ്, ലേബലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങൾ, വിപണനം തുടങ്ങിയവ ഏകോപിപ്പിക്കും

■ ജൈവ കർഷകർക്ക് പ്രാഥമിക കർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉത്പാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ വഴി സാമ്പത്തികസഹായം ലഭ്യമാക്കും.

■ അംഗീകൃത ജൈവോത്പന്ന പരിശോധനാ ലാബുകളേയും സ്ഥാപനങ്ങളേയും എംപാനൽ ചെയ്യും

■ ജൈവ ഉത്പാദകർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം, പരിശീലനം.

■ ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിത വിപണി

■ ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോടും പതിവു കൃഷിരീതിയുമായി സത്തുലനം നിലനിർത്തും.

Title : National Multistate Societies are established for State level Coop. Societies

News Paper - Kerala Koumidi, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 5 | Circulation - 3,77,470

കേന്ദ്രത്തിന്റെ 3 സഹകരണ സംഘം വരുന്നു

പ്രത്യേക ലേഖകൻ

നൂഡൽഫി

ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്ന് അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിത്ത്, ചരക്ക്-സേവന കയറ്റുമതി മേഖലകളിലാണ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക. സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കടന്നുകയറാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.

ജൈവ ഉൽപ്പന്ന മേഖലയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ, പരിശോധന, സംഭരണം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിങ്, ചരക്ക് കടത്തൽ, വിപണനം എന്നീ

- ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിത്ത്, ചരക്ക്- സേവന കയറ്റുമതി മേഖലകളിലാണ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക
- സഹകരണമേഖലയിൽ കടന്നുകയറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നീക്കം

മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണയും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകാനാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന ജൈവ സഹകരണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത്. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ മുതൽ സംസ്ഥാനതല ഫെഡറേഷനുകളെ വരെ ഇതിൽ അംഗമാക്കും.

വിത്തുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, വിപണനം, വിതര

ണം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെയും ദേശീയ സീഡ് കോർപ്പറേഷന്റെയും സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ മേഖലയിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സംഘം. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾ മുതൽ ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾക്കുവരെ ഇതിൽ അംഗങ്ങളാകാം. വിദേശ, വാണിജ്യ-വ്യവസായ

മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

സഹകരണ മേഖല കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത്. തുടർന്ന്, അന്തർ സംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘം നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കി. കൊൽക്കത്തയിലെ കൂടി വെള്ള, ശുചിത്വ ദേശീയ കേന്ദ്രത്തിന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പേര് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.

Title : Three National Cooperative Societies are established for the development of Agriculture Sector
 News Paper - Mathrubhoomi, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 8 | Circulation - 11,06,000

കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക്

3 സഹ.സംഘങ്ങൾ

**പ്രത്യേക ലേഖകൻ
സ്വയംഭവി**

കാർഷികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയതലത്തിൽ മൂന്ന് സഹകരണസംഘങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. വിത്തുകൾ, ജൈവവോൽപന്നങ്ങൾ, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണസംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യസമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.

പാർലമെന്റ് ഈയിടെ പാസാക്കിയ ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണസംഘം നിയമത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് നടപടി. സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധിയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുശേഷം മന്ത്രി ഭൂപ്രേരയാദവ് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ വിത്ത് സഹകരണസംഘം

ദേശീയ ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ വിത്ത് സംഘത്തിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ



മെഡറേഷനുകൾക്കും അംഗമാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടാകും. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകളുടെ ഉൽപാദനം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, (ബ്രാൻഡിങ്), ശേഖരിക്കൽ, വിപണനം-വിതരണം, ഗവേഷണം, കലർപ്പില്ലാത്ത നാടൻ വിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവും എന്നിവയായിരിക്കും ഈ സംഘത്തിന്റെ ചുമതല.

ദേശീയ ജൈവവോൽപന്ന സഹകരണസംഘം

പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങൾ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപാദക സംഘടനകൾ (എഫ്.പി.ഒ.കൾ) എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിൽ അംഗമാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടായിരിക്കും.



വിവിധ സംഘടനകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കൽ, ജൈവവോൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകൽ, പരിശോധന, ഗുണമേന്മ പ്രചരിപ്പിക്കൽ, വിപണനം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഈ ദേശീയ സംഘത്തിന്റെ ചുമതല.

ദേശീയ കയറ്റുമതി സഹകരണസംഘം

പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങൾ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകൾ, ബഹുസംസ്ഥാന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അംഗങ്ങളാകാം. ഇവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയിലുണ്ടാകും. രാജ്യമൊട്ടുക്കുമുള്ള വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അധിക ഉൽപന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ



എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഉന്നത സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ആഗോളവിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ സഹകരണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യത കൂട്ടും.

Title : Three National Coop Societies are formed by Central Govt.

News Paper - Deshabhimani, Kerala | 12/01/2023 | Page No. 7 | Circulation - 5,75,920

IFFCO may anchor new co-op to tap ₹40,000-crore seed market

GAME-CHANGER. New entity may rope in 63,000 PACs for retailing, pose a challenge to the private sector

Prabhudatta Mishra
New Delhi

A new seed co-operative proposed to be named Bharatiya Sahakari Beej Samit (BSBS) is likely to start operating this month, potentially taking away a sizeable revenue from the private sector in the ₹36,000-crore domestic seed market.

Earlier this week, the Union Cabinet approved the establishment of the multi-State seed co-operative society along with a national export society and a national co-operative society for organic products.

The co-operative will be located inside IFFCO's corporate office. The co-operative has officially been mandated to tap the potential in the unexplored ₹40,000-crore seed market. Farmers will use a part of their own crop as seeds, while BSBS will dent the exist-

ing market dominated by the private sector when it launches its operations, experts said.

SHARE CAPITAL

"The Government is facilitating its formation and there will be no direct shareholding. All the 63,000 primary agricultural credit societies (PACS) will be roped in to retail the seeds to be sold by the new multi-state co-operative," said Gyanesh Kumar, Secretary, Co-operation.

He said BSBS will have an authorised share capital of ₹500 crore.

IFFCO may play the role of anchor promoter given its wide reach through a network of thousands of co-operatives at village levels, sources said.

The National Seeds Corporation and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) will be co-opted on the BSBS board as expert members. ICAR has been asked by the Government to provide



SEEDS OF GROWTH. The co-operative has the potential to sell 415 lakh quintals of seeds

breeder seeds and technological support to the new co-operative to kick-start its activities.

Of the annual requirement of 787 lakh quintals seeds, the actual availability through organised retails is about 372 lakh quintals, leaving an untapped potential for 415 lakh

quintals which come from the farmers' own crops as well as from neighbours, officials said.

"It has been seen that there is 15-20 per cent yield improvement when farmers move to certified seeds from farm-saved seed (FSS)," Kumar said. As many as 29 crore members of co-operative soci-

eties, largely marginal farmers and people from lower income groups in rural areas will be the target of BSBS so that quality inputs reach them at least or no cost, the official said. Many of the Central schemes in seed distribution may also be routed through BSBS, the official said.

Newspaper : Business Line, New Delhi Edition

Author : Prabhudatta Mishra | 14/01/2023 | Page No. 8 | Circulation - 1,17,000

The Union Cabinet approved the establishment of the National Level Multi-State Cooperative Seed Society

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ



ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ) : ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪੇਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.) ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੋਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਹਿਕਾਰ-ਸੋ-ਸਮਿਧੀ" ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

बहुराज्यीय बीज सहकारी समिति के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

वीएनसी मीडिया 17 जनवरी 2023 संगठन के रूप में काम करेगी ।

चंडीगढ़ । जगदीश शर्मा बीजों की सालाना आवश्यकता 787



चण्डीगढ़ । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बहु राज्य सहकारिता अधिनियम 2002 के तहत एक बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की मंजूरी दे दी है, जिसे भारतीय सहकारी बीज समिति लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा ।

इसमें सभी सहकारी समितियाँ शामिल होने के लिए योग्य हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि बोर्ड में सेवा करेंगे । स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय बीज सहकारी समिति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए केंद्रीय



लाख क्विंटल है, इनमें से कवल 372 लाख क्विंटल की आपूर्ति संगठित क्षेत्र द्वारा की जाती है । बाकी 415 लाख क्विंटल असंगठित क्षेत्र में हैं, जोकि खुद किसानों से आता है । हालांकि इसकी बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है क्योंकि वे समय पर गरीब किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं । कहा जा रहा है कि भारत में रुपये 40,000 करोड़ के बीज बाजार में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र का

दबदबा है जहां किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है । चूंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन सहकारिता पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए प्राथमिक सहकारी समिति सीधे सरकार के बजाय संचालन चलाने के प्रभारी होंगे । इस प्रकार भारतीय सहकारी बीज समिति का उद्देश्य एक सामान्य ब्रांड के तहत प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण की भूमिका सुनिश्चित करना होगा । इसमें किसानों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों के सभी स्तरों के नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा । ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीज अकेले उत्पादन में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे ।

सरकार बीज प्रतिस्थापन दर वृद्धि के संदर्भ में व्यक्त गुणवत्ता वाले बीजों से आच्छादित फसली क्षेत्र का प्रतिशत भी बढ़ाना चाहती है ।

स्व-परागित फसलों के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन दर मानदंड 33 प्रतिशत है, पर-परागित फसलों के लिए 50 प्रतिशत और संकर के लिए 100 प्रतिशत है । राज्यों को इन मानदंडों का पालन करना पड़ेगा । साथ ही बीएसबीएस वैराइटी रिप्लेसमेंट ;टत्त्व रेट उत्पादन अंतराल को भी कम करने में मदद करेगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी । भारत सरकार की यह पहल किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करके बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, एच.वी.वाई. बीजों का उपयोग करके कृषि-उत्पादन को बढ़ाएगी और आयतित बीजों पर निर्भरता कम करेगी । इस प्रकार ये स्कीम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी । डॉ. कृत्तिका राणा संकाय-सदस्य, क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान,

Newspaper : VNC Media News,

Chandigarh | 18/01/2023

ସମବାୟରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ

ଜାତୀୟସ୍ତର ବହୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିହନ ସମିତି-ଏକ ଅବଲୋକନ



ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି । ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମିକ ୫୪.୬% କୃଷି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଯୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ୩୨୮୭ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୩୯୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଷ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି

୪୨.୪% ଅଟେ ।

ଭାରତର ଜମିକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜମିକ୍ଷେତ୍ରର ୨.୩% ମାତ୍ର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱଜନସଂଖ୍ୟାର ୧୭.୩% ଅଟେ । ଏହି ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦେଶର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ । ଋଷ ଜମିରେ ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଜମିରେ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଫସଲର ଅମଳ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମଞ୍ଜି, ସାର, ଜଳସେଚନ, ଉଚ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ । କୃଷିରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜନପୁତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କି ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ୧୭ରୁ

୨୦% ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନପୁତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଏହାକୁ ୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଫଳତା ଦେଇ ନଥାଏ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ କିସମା ବିହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ଏବଂ ଫାର୍ମ ସେଭ୍ ସିଭ୍ (ଏଫ୍.ଏସ୍.ଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କମ୍ ବଦଳହାରର ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ, ଫାର୍ମ ସେଭ୍ ସିଭ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସକରେ ।

ଦେଶରେ ୮.୫୪ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । କୃଷକମାନେ ଉଭୟ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିହନର ଉପଭୋକ୍ତା । ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥନରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ ହାର (ଏସ୍.ଆର.ଆର) ଏବଂ ଭେରିଫାଇଡ୍ ରିପ୍ରେସେଣ୍ଟେସନ୍ ରେଟ୍ (ଭିଆର.ଆର.)ହ୍ରାସକ କରିବାରେ

ନିଯୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ । ସମବାୟ ସମିତିର ଶକ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ବହୁଳ ସଦସ୍ୟତା ଆଧାରରେ ମିଳିଥାଏ, ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷଣ, ବିହନର ବିବିଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଦିକାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗୁରୁ ରୂପରେ କରିପାରିବ । ସମିତି ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କରିପାରିବେ ।

ତିନୋଟି ଅଗ୍ରଣୀ ସମବାୟ ସମିତି ଯଥା ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସାର ସମବାୟ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇ.ଏଫ୍.ଏସ୍.ସି.ଏ), କୃଷକ ଭାରତୀ ସମବାୟ ଲିଃ (କେ.ଆର.ଆଇ.ଏସ୍.ସି.ଏ), ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଃ(ଏନ୍.ଏସ୍.ଏଫ୍.ଇ.ଟି), ସହିତ ଦୁଇଟି ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ଜାତୀୟ ଗୁଗ୍ଲ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ୍ (ଏନ୍.ଡି.ଟି.ବି) ଏବଂ ଜାତୀୟ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ (ଏନ୍.ସି.ଡି.ସି) ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫୦ କୋଟିର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିହନ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମିତି ବହୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୨ର ଧାରା ୧୧୬(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମିତି ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ ।

ସମିତିର ୫୦୦କୋଟିର ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଂଶଦାନ ପୁଞ୍ଜି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପେଡ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର ପୁଞ୍ଜି ୨୫୦କୋଟି ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ । ପ୍ରାଥମିକରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମବାୟ ସମିତି ଯେଉଁମାନେ ବିହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଦସ୍ୟଭାବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଉକ୍ତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ସମିତିର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମବାୟର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକରିବ ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମିତି, ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (ପିଏସିଏସ୍)ବହୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି (ଏଫ୍.ଏସ୍.ସି.ଏସ୍), ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫେଡେରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଝଙ୍କକ, ଠଙ୍କକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନଋଷ, ବିବିଧ ପରୀକ୍ଷଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣରେ କୃଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ଉକ୍ତ ସମିତି ଉତ୍ପାଦନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରମାଣୀକରଣ, କ୍ରୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଲେବଲିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକରିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମହାଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ତିନି ପିଢ଼ିର ମଞ୍ଜି “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ

ଆଭିମୁଖ୍ୟ” ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରିବ । କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମହାଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଯଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ (ଓଉଇକ୍), ନ୍ୟାସନାଲ ସିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ନସିଡ୍) ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ତଥା ନୂଆ କିସମର ମଞ୍ଜି ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧୁନିକ ସମବାୟ ସମିତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା “ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧି”ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହ୍ରାସକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ, ଉଚ୍ଚ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହ୍ରାସକ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମଞ୍ଜି ଏବଂ, ଉଚ୍ଚ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକ କରି ଉପକୃତ ହେବେ । (ଏଡ଼ି.ଏଲ.ଏସ୍) ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଅଧିକ

ଲାଭନୂତ ମଧ୍ୟ ହେବେ । ଏତଦ୍ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନର ଉପଲବ୍ଧତା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ କୃଷକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମିତି ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ ହାର, ବିବିଧତା ବଦଳହାର, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଋଷ ଏବଂ ବିହନର ବିବିଧ ପରୀକ୍ଷଣରେ କୃଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ନୋଟ-ଡ୍ୱାର୍ଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମଞ୍ଜି, ଧାରେ ଧାରେ କେନେଟିକ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜିଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଉଛି । ସମିତି ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ଲୋପ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ।

ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଅତିରିକ୍ତ ନିୟୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକରିବ, ମେକଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରତାର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ ।

ମଧୁସୂଦନ ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୁନିଟ୍-୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Importance of multi-State Cooperative Seed Society

Seiminthang Khongsai

Agriculture plays a vital role in India's economy. 54.6% of the total workforce is engaged in agricultural and allied sector activities. The total geographical area of the country is 3287 lakh hectares, of which 1394 lakh hectares is the net sown area and 2002 lakh hectares is the gross cropped area.

India with only 2.3% share of the world's total land area has to ensure food security of its vast population, which is 17.7% of world population. In view of this, the area under cultivation is unlikely to increase. Therefore, substantial increase in yield and quality of crops depends upon quality of seeds to the large extent.

It is, therefore, the Union Cabinet, has approved a historic decision to set up and promote a national level multi-state seed cooperative society under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 which will act as an apex organization for production, procurement, processing, branding, labelling, packaging, storage, marketing and distribution of quality seeds;



Courtesy: icmimphal.org

strategic research & development; and to develop a system for preservation and promotion of indigenous natural seeds; through various cooperative societies across the country with support from relevant ministries especially Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Indian Council for Agricultural Research (ICAR) and National Seed Corporation (NSC) through their schemes and agencies following the 'Whole of the Government Approach'.

PACS to APEX: Primary to National Level Cooperatives Societies including primary societies, district, State and National

level federations and multi State cooperative societies can become its member. All these cooperatives will have their elected representatives in the Board of the society as per its bye-laws. The national level multi state seed cooperative society would act as an apex organization for production, procurement, processing, branding, labeling, packaging, storage, marketing and distribution of quality seeds; strategic research & development; and to develop a system for preservation and promotion of indigenous natural seeds; through various cooperative societies across the country with support from relevant

ministries especially Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Indian Council for Agricultural Research (ICAR) and National Seed Corporation (NSC) through their schemes and agencies.

The society will have an authorized share capital of Rs 500 crore and will be established with initial paid up-share capital of Rs. 250 Crore. It will raise funds through share capital, admission and other fee, loans cash credit commercial papers, overdraft of Banks/FIs, grant-in -aid and subsidies from central and State Governments, donations/ contributions from members

and other organizations with in India and abroad.

The proposed society will help to increase the seed replacement rate, varietal replacement rate, ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production and distribution of certified seeds with a single brand name, by utilizing the network of all levels of cooperatives. The availability of quality seeds will help in increasing agricultural productivity in strengthening food security and also increasing the income of the farmers. The members will benefit both by realization of better prices by produc-

tion of quality seeds, higher production of crops by use of High Yielding Variety (HYV) seeds and also by dividend distributed out of the surplus generated by the society.

The seed cooperative society will involve all forms of cooperative structures and all other means to increase the SRR, VRR by ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production and distribution of certified seeds with a single brand name. Quality seeds production through this national level seed cooperative society will increase the agriculture production in the country thereby leading to more employment in the agriculture and cooperative sector; reducing the dependence on imported seeds and provide boost to rural economy, promoting "Make in India" and leading to Atmanirbhar Bharat.

The writer is Faculty Member, Institute of Cooperative Management, Imphal (An Institute of National Council for Cooperative Training, Ministry of Cooperation, Govt of India)

Title : Importance of multi-State Cooperative Seed Society

Newspaper – The Sangai Express | 18.01.2023 | Page No .4

Author : Shri Seiminthang Khongsai, ICM Imphal | Circulation - 21,311

Cabinet Approves the Setting Up of Bharatiya Sahakari Beej Samiti Ltd. under the MultiState Cooperatives Act, 2002.

VNC Media: 18, Jan. 2023

Dr. Kritika Rana

Faculty, RICM-Chandigarh



Chandigarh: Sustainable agricultural growth is one of the biggest challenges in ensuring global food security, of which seed is the most basic and crucial input. All agronomic techniques and other inputs used on the crop are rendered useless if low-quality seeds are used. Keeping this in mind, the Cabinet under the leadership of Hon'ble Prime Minister Narinder Modi has approved the setting up of a multi-state cooperative seed society, hereby known as Bharatiya Sahakari Beej Samiti Ltd., under the Multi-State Cooperatives Act, 2002.

All cooperative societies are eligible to join and have their elected representatives serve on the board. A system for the preservation and promotion of indigenous natural seeds will be developed, and the national level multi-state seed cooperative society will serve as the central organisation for production, procurement, processing, branding, labeling, packaging, storage, marketing, and distribution of high-quality seeds. The annual seed



requirement is for 787 lakh quintals, out of these only 372 lakh quintals is supplied by organised sector. Remaining 415 lakh quintal is in the unorganised sector, which comes from the farmers themselves. However, large amounts of this go to waste as they are unable to reach the deprived farmers on time. Having said that, the present Rs. 40,000-crore seed market in India is largely dominated by the private sector where the farmers are majorly exploited. Since the restructuring of the nation's rural economy in agriculture and allied

fields depends heavily on cooperatives, therefore, the PACS will be in charge of running the operations rather than the government directly. Thus, Bharatiya Sahakari Beej Samiti (BSBS) aims at utilising the network of all levels of cooperatives to ensure the role of farmers in the production and distribution of certified seeds under a single brand name. This direct contribution of quality seeds alone will increase the production by 15-20%. The government also wants to increase the percentage of cropped area covered with quality seeds, expressed in terms of Seed Replacement Rate (SRR). For self-pollinated crops, the recommended SRR norms are 33%; for cross-pollinated crops, 50%; and for hybrids, 100%. It is advised that the states should stick to these norms. Along with this, the BSBS will help in reducing the yield gaps by promoting Varietal Replacement Rate (VRR), thereby, enhancing productivity. This initiative by the GOI will enable the farmers in fetching better prices by producing quality seeds, increasing the agri-production using HYV seeds, reducing dependence on imported seeds, thus, giving a boost to the vision of the Prime Minister to make India Atmanirbhar.

The Cabinet approved the establishment
of a National Level Multi-State
Cooperative Seed Society

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸਭਾ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ



**ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ
ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਬੀਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ**

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪ.ਪ.) :
ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪੇਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼
(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.) ਐਕਟ, 2002
ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ
ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਸੂਦਨ, ਫੈਕਲਟੀ-
ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੋ-
ਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦ,
ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੋਬਲਿੰਗ,
ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ
ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਖੋਜ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਲਈ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ

**Newspaper : Rozana Spokesman,
Chandigarh | 19/01/2023 |
Circulation - 1,00,074**

5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था को साकार करेगी, भारत सरकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियां

डॉ. अमित मुद्गल,
निदेशक प्रभारी
सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल

भारतीय गणराज्य में हमेशा से वसुधैव कुटुम्ब की अवधारणा को महत्व दिया गया है और आदिकाल से सहकारिता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश के साथ साथ समस्त प्रदेशों में भी सहकारी संस्थाएँ आजादी के पूर्व से एवं आजादी के पश्चात् देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। सहकारी संस्थाएँ देश के ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एवं देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होने के कारण हमेशा देशकी विभिन्न सरकारों के केन्द्र बिन्दु में रही हैं। वर्तमान भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता की भावना एवं अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को भली भाँति न सिर्फ महसूस किया है बल्कि केन्द्र में नया सहकारिता मंत्रालय का गठन कर एवं उसमें एक अनुभवी मंत्री को जवाबदारी देकर देशके सामने सहकारिता के महत्व को बतलाया है।

वीन सहकारिता मंत्रालय द्वारा जिसके मंत्री माननीय श्री अमित शाहजी ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर देशके सहकारिता क्षेत्र में कदम उठाते हुए अनेकों बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है जिसको मोदी सरकार की मंत्री मण्डल समिति ने भी अनुमोदित किया है। इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों में प्रमुख रूप से सहकारी निर्यात समिति सहकारी बीज समिति तथा सहकारी जैविक समिति प्रमुख हैं। माननीय प्रधानमंत्री

द्वारा दिये गये नारे 'सहकार से समृद्धि' एवं 'वोकल फॉर लोकल' को इन बहु राज्यीय सहकारी समितियों (मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटी) के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति का गठन ज्व पंजीयन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसमें प्रायमरी से लेकर राष्ट्रीय स्तर की समितियां जिसमें प्रायमरी समितियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ एवं बहुराज्यीय सहकारी समितियां शामिल होकर इसकी सदस्य बनेगी। इन सभी सहकारी समितियों के उपविधियों के अनुसार समिति के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे एवं विभिन्न उत्पादों के एकत्रीकरण, ब्रान्डिंग एवं विपणन के माध्यम से उत्पादों की उच्च कीमत प्राप्त करने में इन सहकारी समितियों और किसान सदस्य को सहायता मिलेगी। देश की चार प्रमुख सहकारिताएं इफको, कृभको, नेफेड, जी.सी.एम.एम.एफ और एन.सी.डी.सी इसके लिए एक साथ, साथ आये हैं ताकि भारतीय किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना होगी इन सभी ने इसमें 100 करोड रुपये का योगदान भी प्रदान किया है। इसे एम-एस-सी-एस अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा तथा धारा 116(1) के तहत दूसरी अनुसूची में संसोधन करके समिति को एक राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। हमारे देशमें लगभग 8.54 लाख पंजीकृत सहकारिताएँ हैं जिनमें 29 करोड से अधिक सदस्य जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के सीमांत समूहों एवं निम्न

आय वर्ग से हैं। इन सहकारिताओं के द्वारा सभी क्षेत्रों में जैसे कृषि(खाद्यान्न, दालें, तिलहन आदि), बागवानी(फल, सब्जियां, फूल, संगुधित उत्पाद आदि), डेयरी, कुक्कुट पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, मसाले(इलायची, काली मिर्च, लौंग, केसर, हल्दी आदि) जैविक उत्पाद, उर्वरक, हस्तकरधा, हस्तकला, वस्त्र, चाय/ कॉफ़ी, लघु वनोपद उत्पाद, आयुर्वेदिक झहबल औषधिया, पंसस्कृत खाद्यान्न, चमड़ा आदि में उत्पादन किया जाता है।

सहकारिताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्वरक उत्पादन 28.80 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 30.60 प्रतिशत, और दूध के विपणन योग्य अधिशेष की खरीदी में 17.50 प्रतिशत का योगदान भारत की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्रदान कर रही हैं। इनमें से कई उत्पादों की कई देशों में भारी मांग है। लेकिन सहकारिता के एकरूपता के अभाव में सहकारी उत्पादों झसेवाओं की निर्यात क्षमता काफी हद तक अनुपयोगी रही है। पर्याप्त वित्त, निर्यात उन्मुखीकरण, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, मानकीकरण, बाजार जागरुकता, उत्पादकों का प्रमाणन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए आव'यक हैं। सहकारिताओं द्वारा देशकी निर्यात बास्केट को सुदृढ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु निर्यात योग्य घरेलू अधिशेष, कार्यशील पूंजी, तकनीकी जानकारी, और प्रशिक्षण हेतु उचित संस्थागत समर्थन की आव'यकता है। परिणाम स्वरुप भारतीय सहकारी क्षेत्र व्यापकता और अर्थव्यवस्था में इसके पर्याप्त योगदान के बावजूद केवल

Title : 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को साकार करेगी, भारत सरकार की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों |

Newspaper – Pradesh Times, Bhopal | 19.01.2023 | Page No.4 | Circulation - 3,56,505

தேசிய அளவிலான பல மாநில கூட்டுறவு விதை சங்கம்

மதுரை, ஜன.

உலகின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 2.2 சதவிகிதம் மட்டுமே உள்ள இந்தியா, உலக மக்கள் தொகையில் 17.7 சதவிகிதமாக இருக்கும் அதன் பரந்த மக்கள் தொகையில் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை என்ற உண்மையை கருத்தில் கொண்டு, சாகுபடி நிலத்தின் ஒரு உற்பத்தி அலகு திறனை உயர்த்துவதில் உந்துதல் இருக்க வேண்டும்.

உணவு உற்பத்தி, உணவுப் பொருள்களின் தரத்தை உறுதி செய்வது பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. விதைகள், உரங்கள், நீர்ப்பாசன பயிர் பாதுகாப்பு, வேளாண் நடைமுறை உட்பட அனைத்து நடைமுறைகளும் தரமான அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகளை பயன்படுத்துவதைப் பொறுத்து இருக்கும். தரமான விதைகளின் பயன்பாடு பயிர்களை பொருத்துகமார் 15 முதல் 20 சதவிகிதம் வரை இருக்கும். திறன்மிகு வேளாண் நடைமுறை மூலம் 45 சதவிகிதம் வரை உயர்த்தலாம். தரமற்ற விதைகளை பயன்படுத்துவது மற்ற அனைத்து நவீன வேளாண் நடைமுறைகளை பயன்றதாக ஆக்கி விடுகிறது.

நீண்ட நெடுங்காலமாக, இந்திய விவசாயிகள் பெரும்பாலும் பாரம்பரியமான விதை ரகங்களை பயன்படுத்தி வந்தனர். தங்கள் நிலத்தின் மூலம் விலையும் விதைகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியதால் விரைவான விளைச்சல் கிடைத்தது. பாரம்பரிய விதை பயன்பாடு மற்றும் நிலத்தின் மூலம் சேமிக்கப்பட்ட விதை ஆகியவை குறைவான விளைச்சலை கொடுத்தன.

நாட்டின் 29 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை கொண்ட 8.54 லட்சம் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் உள்ளன. விவசாயிகள் விதைகளின் குதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர்கள் பெரும்பான்மையாக இருப்பதால் இந்திய விவசாயிகள் குறைந்தபட்சம் ஏதேனும் ஒரு கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர், இந்தக் கூட்டுறவுகள்

முறையான சங்க ஆதரவு வழங்குவதன் மூலம் விரும்பிய விதை மாற்று விகிதம் (ஏளிளிளி) மற்றும் பரந்தபட்ட மாற்று விகிதம் (சுளிளிளி) அமைவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம். எனவே கூட்டுறவுகளின் பலம், அதன் பெரிய உறுப்பினர் தளத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் உற்பத்தி, மேம்படுத்தப்பட்ட சோதனை வசதியை விரிவாக்கம் மற்றும் விதை வகை சோதனைகள் ஆகியவற்றின் நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம், விளைச்சல் இடைவெளியை குறைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

மூன்று தேசிய முன்னணி கூட்டுறவு நிறுவனங்களான இந்திய உர கூட்டுறவு லிமிடெட் (மிதிதிளிளி), கரிசிக் பாரதி கூட்டுறவு லிமிடெட் (ரிளிமிளிளிளிளி), இந்திய தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு லிமிடெட் (ழிதிதிளிளிளி). தேசிய பால் உற்பத்தி வாரியம் (ழிளிளிளி), தேசியக் கூட்டுறவு வளர்ச்சி நிறுவனம் ஆகிய இரண்டு சட்டபூர்வ அமைப்பு அகிய வற்றுடன் கைகோர்த்து ரூபாய் 50 கோடி அளவிற்கு பணம் முதலீடு வழங்குவதன் மூலம் தேசிய அளவில் மாநிலக் கூட்டுறவு விதை சங்கத்தை தோற்றுவிப்பதில் சிறப்பு பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த சங்கம் பல மாநில கூட்டுறவு சங்கச் சட்டம் விதிகள் 2002ன் கீழ் தேசிய சங்கமாக பதிவு செய்யப்படும் மேலும் பல மாநிலகூட்டுறவு சங்க சட்டத்தில் பிரிவு 116(1)ன் கீழ் வரும் இரண்டாவது அட்டவணை திருத்துவதன் மூலம் அறிவிக்கப்படும்.

முன்மொழியப்பட்ட சங்கமானது ரூபாய் 500 கோடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனமாகவும், ரூபாய் 250 கோடி செலுத்தப்பட்ட மூலதனமாகவும் கொண்டு செயல்படும். ஆரம்ப நிலையில் சங்கத்தின் தலைமையகம் புது டெல்லியில் இருக்கும். சங்கம் செயல்படும் எல்லை நாடு முழுவதற்காக இருக்கும் விதை உற்பத்தி மற்றும் விதை வணிகம் செய்யும் கூட்டுறவு சங்கங்கள். (தொடக்கநிலை முதல் அகில இந்திய அளவிலான நிலை

வரை) சங்கத்தின் உறுப்பினராக சேர தகுதி உடையவர்கள் சேரலாம். இந்த சங்கம் கூட்டுறவு கொள்கையான உறுப்பினர் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவும் வகையில் செயல்படும்.

உத்தேச தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் பல மாநில சங்கமாக செயல்படுவதோடு மாநில அளவிலான இணையங்களையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படும் அத்துடன் (ஏளிளிளி)ன் மதிப்பை உயர்த்தி செயல்படும் மேலும் விவசாயிகளை தரமான விதை உற்பத்தியில் ஈடுபட வைத்தும் சான்று செய்த விதைகளை தரா அடையாளம் (நிளிளிளிளி) பேரில் விநியோகம் செயல்படும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கம் விதை உற்பத்தியில் ஈடுபடும், சான்று பெற்று விதைகளை கொள்முதல் செய்து, இருப்பு வைத்து பிரபல பிராண்ட் பேரில் பாக்கெட் மூலம் விற்பனை செய்து இயங்கும். இச்சங்கம் மிகை உற்பத்தியாளராகவும் அரசின் பல்வேறு துறைகளில் கொள்கை முடிவிற்கு ஏற்ப திட்டங்களின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு அரசின் முழு ஆதரவு மற்றும் அரசின் இனக்கத்துடன் செயல்படும். மத்திய அரசின் விவசாயத் துறையின் சிறப்புமிகு ஆதரவுடன் இச்சங்கம் செயல்படும். பொதுவாக இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி மையத்தின் உதவியுடனும், தேசிய விதைகள் கழகத்தின் உதவியுடனும் இதர அரசு துறைகளில் உதவியுடனும் விவசாயிகள் நலன் காத்து, குறிப்பாக விதை விநியோகத்தில் ஈடுபட்டு புதிய விதை ரகங்களை தற்போதுள்ள மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உற்பத்தி செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடும். உறுப்பினர்கள் உயர்வாக மற்றும் தரமான விதை உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு நல்ல விலை பெறவும் கூடுதல் விளைச்சல் பெறவும் அதன் மூலம் கிடைக்கும் உபரி தொகையில் பங்கு ஈவு பெற உதவும்.

முன்மொழிக்கப்பட்ட சங்கமானது அனைத்து வகை கூட்டுறவு சங்கங்களின் உதவியுடனும், விதைகளை மறுகழற்சி செய்யவும் தரமான விதை உற்பத்தியில்

ஈடுபடும் சான்று செய்த விதை விநியோகத்தில் ஈடுபட்டு செயல்படும். தரமான விதைகளை பயன்படுத்துவது என்பது விவசாய உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கவும், உணவு மேலாண்மையை வலுப்படுத்தவும், இதன் வாயிலாக விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

மரபு ரீதியாக மேம்படுத்தப்பட்ட விதைகள் உரிய இயற்கை விதைகளை பயன்படுத்துவதில் இருந்து சிறிது சிறிதாக குறைந்து வருகிறது இன்னும் சில காலத்திற்கு பின்பு பாரம்பரியமான விதைகள் வழக்கொழிந்து போய்விடும். இவ்வாறு பாரம்பரிய விதைகள் பயன்பாடு குறைந்து முழுவதுமாக பயன்பாடு நின்று விடுவதை தடுப்பதற்கும், இந்த பாரம்பரிய விதைகளை காப்பாற்றுவதற்கும் ஒரு புதிய வழிமுறை காணப்படும்.

இந்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் விவசாய மற்றும் விவசாயிகளின் நலன் காக்கும் துறை 2020ல் வெளியிட்ட புள்ளி விவரங்களின்படி விவசாயத் துறையின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு பெறுவது என்பது ஒட்டுமொத்த வேலைவாய்ப்பில் 42.60 சதவீதம் ஆகும் என தெரிவித்துள்ளது, மேலும் இந்திய தேசிய கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் புள்ளிவிபரப்படி 13.30 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பு கூட்டுறவுத்துறை மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. முன்மொழியப்பட்ட சங்கத்தின் மூலம் தரமான விதை உற்பத்தி செய்து அதன் மூலம் உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பது, விவசாயத்துறையிலும் கூட்டுறவு துறையிலும் மேலும் அதிக அளவு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தரமான விதைகளை உற்பத்தி செய்து பதப்படுத்தி அதன்பின் சந்தைப்படுத்துவது என்பது கூடுதல் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் இதன் மூலம் கிராமிய பொருளாதாரம் மேம்படுத்தப்படும். இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்தல் என்ற கோட்பாட்டின் மூலம் ஆத்மநிர்பர் பாரதத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படவும் இது வகை செய்கிறது.

முனைவர் வே. அழகு பாண்டியன்,
விரிவுரையாளர்,
கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி கழகம், மதுரை.

Title : National Level Multi-State Cooperative Seed Society

Newspaper – Madurai Minutes, Tamil Nadu | 19.01.2023 | Page No.2 | Circulation - 5,300

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इन अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एकट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये बहुराज्यीय सहकारी समितियां हैं-

- 1- बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति
- 2- बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति
- 3- बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति

उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएँगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति - इस सहकारी संस्था द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्त, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज पर से देश की निर्भरता कम होगी।

बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति - यह समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। इस समिति के माध्यम से कृषक देश की सहकारी समितियों, सहकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होंगे एवं उच्च निर्यात से वस्तु एवं सेवा उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी हो पायेगा। समिति अतिरिक्त माल/सेवा के निर्यात द्वारा एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा। इस समिति में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां यथा प्राथमिक समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियां शामिल होंगी।

बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति- माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादों की मांग और खपत को अनलॉक करने में मदद करेगी। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों एवं सदस्यों को एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पाद की उच्च कीमत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एकत्रीकरण प्रमाणन, भंडारण संस्करण और अधिक आय के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त होगी। इस समिति के आ जाने से जैविक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला का श्रेष्ठतम प्रबंधन हो पायेगा। इन तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति के आ जाने से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्त के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपये के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी।

मॉडल उपनियम - सहकारी समितियों को गाँव स्तर पर एक जीवंत वित्तीय संस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने पैक्स के उपनियमों में आधारभूत परिवर्तन करने का कार्य किया है। इन परिवर्तन से ये समितियां 25 कृषि एवं अकृषि तथा साख एवं गैर साख क्षेत्रों में अपना व्यवसाय विविधिकरण कर आर्थिक रूप से सक्षम हो पायेंगे एवं अपने से जुड़े सदस्यों के अधिकतम लाभ को करवा पाएँगे। ये क्षेत्र हैं बीज वितरण, खाद वितरण, मत्स्य/दुग्ध /मूर्गीपालन,कस्टम हायरिंग, फ्लोरीकल्चर, मधुमक्खी पालन इत्यादि। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

डॉ. एस. एन. झा, निदेशक, मनीष कुमार मिश्रा, संकाय सदस्य, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ

<https://cmgtimes.com/a-commendable-step-towards-prosperity-from-multi-state-co-operative-society.html>

भारत सरकार ने बहु राज्य सहकारी अधिनियम को संशोधित कर खोला गावों में खुशहाली का रास्ता

देहरादून। भारत सरकार ने सहकारिता के समावेशी निकाय का प्रतिरूपण सहकार से समृद्धि का मंत्र देकर किया, सहकारिता के विकास में नया अध्याय जोड़ा गया है। सहकारिता क्षेत्र हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ है, कृषि उत्पादकता, कृषकों की आय से जुड़ी हुई है। वर्तमान में विश्व में लगभग 34 लाख किसान जैविक माध्यम से कृषि उत्पादन करते हैं। जिनमें लगभग 16 लाख जैविक उत्पादक कृषक भारत से हैं देश की खुशहाली लाने के लिए गाँव की खुशहाली लानी होगी और उसके लिये गाँवों के किसान जो हमारी आबादी के लगभग 54.06 प्रतिशत हैं तथा देश के सकल मूल्य में उनका योगदान मात्र 17.08 प्रतिशत है, उसे बढ़ाने हेतु भारत सरकार तथा देश की राज्य सरकारें निरन्तर प्रयास कर रही हैं। हाल ही में 11 जनवरी 2023 को भारत सरकार की कैबिनेट ने तीन नये राष्ट्र स्तरीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। राष्ट्र स्तरीय बहु प्रदेशीय सहकारी निर्यात समिति (National Level Multi State Cooperative Export Society) राष्ट्र स्तरीय बहु- प्रदेशीय सहकारी आर्गेनिक समिति तथा राष्ट्र स्तरीय बहु- प्रदेशीय सहकारी बीज समिति है। सहकारी प्रबन्धन संस्थान देहरादून निदेशक अजय रस्तोगी व संकाय सदस्य डॉ अजय शर्मा ने बताया कि हमारा देश अपनी विविध जलवायु तथा आर्गेनिक परिस्थितियों के कारण जैविक कृषि उत्पादों की सभी किस्मों का उत्पाद करने में अधिक क्षमता रखता है। देश के कुछ हिस्सों में जैविक खेती विरासत के रूप में मिली है। इन संस्थानों की स्थापना का मूल उद्देश्य गांव गांव में सहकारी क्षेत्रों द्वारा निर्मित उत्पादों का मार्ग प्रशस्त करना होगा। ग्रामीण कृषि आय में बढ़ोतरी होगी, गांवों में बने उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करके गांव के गरीब

किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य में भारत सरकार के सम्बन्धित सभी मंत्रालय एक जुट होकर किसानों द्वारा उत्पादित माल को निर्यात करने के मार्ग को आसान बना देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के प्रति सजगता नीव गति से बढ़ रही है और आर्गेनिक खाद्य पदार्थों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। आर्गेनिक खाद्य पदार्थों का मूल्य साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना होता है। अभी तक किसान आर्गेनिक उत्पाद करता भी है तो तकनीकी प्रमाणीकरण और विपणन के अभाव में समुचित मूल्य से वंचित रह जाता है। भारत सरकार की इस पहल से उसे अपने उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। में कई गुना बहुराष्ट्रीय बीज सहकारी समिति की स्थापना से कृषि उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी। बीज प्रतिस्थापना दर (SRR Seed Replacement Rate) एवं विविधता प्रतिस्थापना दर (VRR Variety Replacement Rate) बढ़ेगा। हमारे देश में अधिकांश कृषक एक बीज को कई फसल चक्र में प्रयोग करते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादकता घट जाती है। तथा बीज की विविध किस्मों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। इस संस्था की स्थापना से उन्नतिशील बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी। बाजार में एक अनाज के विभिन्न उत्पादक संस्थाएं अपने अपने नामों से बीजों का विपणन करती हैं तथा सभी उन्हें उन्नतिशील भ्रष्ट (अधिक उपज देने वाली किस्म का बीज बताती हैं), जिससे किसान भ्रमित हो जाता है। इस संस्था के माध्यम से बीजों का एक अकेला ब्रांड नाम होगा समिति का कार्य, उत्पादन, भण्डारण प्रसंस्करण, ब्रान्डिंग (ट्रेड मार्किंग करना), लेबलिंग करना, पैकिंग करना संग्रह करना, विपणन व उन्नतिशील बीजों का वितरण करना

आदि है। यद्यपि हमारा देश बीजों का निर्यात कई देशों को करता है, परन्तु इस व्यवसाय में हमारी सम्भाव्यता को देखते हुए निर्यात का स्तर कम है, जिसे गांवों से, सहकारिता और गरीब किसानों से जोड़कर देश के गांव गांव में समृद्धता जायी जा सकेगी तथा वह दिन दूर नहीं होगा जब हर किसान के चेहरे पर मुस्कराहट नजर आयेगी। गांवों में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में प्रायः आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन मौजूदा भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हर नव युवक को रोजगार प्रदान करने का जो अन्तर् मार्ग दिखाया है, वह निश्चित रूप से देश के लिए गर्व का विषय है। सबसे अधिक परिश्रमी हमारा किसान है। खेती उसकी जीविका है परन्तु अपने उत्पाद का समुचित मूल्य न मिल पाना तथा बिचौलियों द्वारा उसके उत्पाद के मूल्य का अधिकांश भाग हड़प लेना सबसे बड़ी त्रासदी है। भारत सरकार में कृषि उत्पादों तथा गांव में सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं के लिए सीधा निर्यात का रास्ता खोलकर उनके सपनों को साकार करने का अन्तर् बीजा उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यात से जुड़े सभी मंत्रालय एक जुट होकर गांव के बने उत्पाद को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर विश्व बाजार में विपणन करके गांव गांव में समृद्धता लाने का अन्तर् प्रयास कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को अनुकूल उत्पाद का प्रसंस्करण जहा एक ओर सहकारिता के अन्तर्गत गांवों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करेगा, वही फ्लैक इन इंडिया के द्वारा भारत की आत्म निर्भरता को भी बढ़ायेगा, विदेशी मुद्रा आयेगी तथा विश्व में मेक इन इंडिया का परचम लहरायेगा तथा सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अतिरिक्त उत्कृष्ट उत्पाद का निर्यात धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था को बदलने में सक्षम हो सकेगा।

Title: भारत सरकार ने बहु राज्य सहकारी अधिनियम को संशोधित कर खोल गाँव में खुशहाली का रास्ता
News Paper – दैनिक जन लहर | 19/01/2023 |
Page No. 4 | Circulation - 26,230

মনিপুরদা চহীসিগী মনুংদা পোপি পান্দি অমত্তা থাহল্লরেই চিংমায়শিংদা দ্রোন শীজিন্নদুনা উ মরু থারগনি : বিরেন

গভর্নরনা ভমংলোংগী দি এল ওশিং অমসুং মীমামগা জায়ে খুঞ্জাশিংগী খুদোংচাদবশিং অকরুবা মতমগী মনুংদা কোকহল্লগনি : লা গনেনসন

সেটিং অপ ওফ এ নেসনল লেভেল মাল্টি-স্টেট কো-ওপারেটিভ সোসাইটি অন্দর মাল্টি-স্টেট কো-ওপারেটিভ সোসাইটিজ (এম এস সী এস) এক্ট, ২০০২

Shri Kh Rangamlian Aimol
 Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
 (An Institute of National Council for Cooperative Training,
 New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

ইন্দিয়ানী শেম্বীংলোংদা লৌউ-শিংউনা অটোবা বৌদাং অমা লৌবদা নত্তনা লৌউ-শিংউগী লম্বা মরী লৈনবা থবক খৌরমশিংগী চাদা ২৪.৬তি চাওনা শরুক যাওরি। ইনামদম অসিগী ওইনা চাওরান্না চেস্টার লাক ৩২৮৭ অসিগী মনুংদা চেস্টার লাক ১৩৯৪ডি নেট মোন এরিয়া ওইরি অদুগা চেস্টার লাক ২০০২না ক্রোপ এরিয়া ওইরি। মালেম অসিগী মনুংদা লেন্দ এরিয়া অসিদা ইন্দিয়ানা শুপ্রতগী চাদা ২.৩ বক যাওবা মরুগা ইন্দিয়ানী ওইবিবা গোপুপেসন অসিগী চাকপোজী মতান্দা থম্বা অসিসু মরু ওইবা অমনি। মসিনা

মরম অমা ওইনা লৌউ-শিংউগী চাং হেনগংহনবা অমদি পোথোক হেনগংহনবা, মরু-মরাংশিংগী কাপিটি ফগংহনবা অসি যান্না দরকার ওই। মসিদা লৈডাক্সা মীংয়েং চঙবীরকুনা কাউন্সিলরোইনবা বারোপ অমা ওইনা নেসনল লেভেলগী থাজন মাল্টি স্টেট কো-ওপারেটিভ সোসাইটিজ (এম এস সী এস) এক্ট, ২০০২গী খুথাং মখাদা অফবা মরু-মরাংশিং প্রোসেসিং, ব্রান্ডিং, লেবেলিং, পেকেজিং, মার্কেটিং অসিচিংবা অসি তৌনবগীদমক কো-ওপারেটিভ সোসাইটিশিংগা খুংশাম্দুনা থবক কয়ামকম পায়খংহৌরি। অসুগা হোংনজাবিবা থবক খৌরমশিং অসিদা মরী লৈনবা মিনিষ্টি ওফ এগ্রিকালচার এন্ড ফার্মস বেলেফোর, ইন্দিয়ন কাউন্সিল ফোর এগ্রিকালচার রিসর্স (আই সী এ আর) অমসুং নেসনল শীদ কোর্গোরেশন (এন এস সী) নটিংবশিং অসিনা জিম এন্ড এজেন্সী কয়ানা 'হোল ওফ দি গভর্নমেন্ট এপ্রোশ' পেগর টু এপেগর, প্রাইমারি টু নেসনল লেভেলগী কো-ওপারেটিভ সোসাইটি যাওনা মসিদা মেথর ওইদুনা থবক অসি মায় পাক্রবা হোংনরি।

কো-ওপারেটিভ সোসাইটিশিংনা প্রাণ্ট-ইন-এইভ অমদি সেথেল অমসুং ষ্টে গভর্নমেন্টগী সবসিদিজ, মেথরশিংগী দোনেশন অমদি কন্সিউলান কয়ামকম তৌদুন লৈরিবা ফদ অদু চাওথোকহল্লি। কো-ওপারেটিভগী থাজন থবক কয়া শীজিয়াদুনা কাপিটি অফবা মরু-মরাংশিংগী চাং বাংখংহনবা, মখল-মখা কয়ানী মরু মরাংশিং পুথোকুনা লৌমীশিংগী খুথাংদা অফবা মিং লৈবা ব্রান্ডগী ওইবা মরু-মরাং লোকুনা অফবা পোথোক পুথোকুনা হোংনরি। অফবা মরু মরাংনা মরাং কয়না ফংলবদা লৌউ-শিংউগী পোথোক হেনগংহনুনা লৌমীশিংগী শেম্বীংলোংনসু হেনগংগা জমগনি। মসিদসু নত্তনা অতোগা লৈবাক্তগী মরু-মরাংশিং লৈবগী চাং হুংদুনা মীওই কয়াদা লৌউ-শিংউগী থবক খৌরম কয়ামকম ফংহুংদুনা মীখা পোন্দবা ইইরবাক ওইদুনা শেম্বীংলোং ফনা লৈবা ইরমদম ওইদুনা 'মেক ইন ইন্দিয়া' এন্ড লিবিং টু অব্বানিভর ভারত অমা ওইবা জমগনি।

ষ্টেটগী পাউ

জন্যুরারী ২৬তা পাঙথোক্কদবা রিপব্লিক দেগী খৌরম...

লামায় ১গী মখা... মনিপুরগী চান্দা হারজি
 চিহ্নদা, হিবিদকাচিবশিং অসি পুংগা লৈবাকী
 সুরাংগী, ইনামবগী অমশিংগী, ইজ-নিংজেলশিংগী

কংলৈপাক অসি অরানবা পুরায়গী হুংফম
 শীজিয়াদা মনুং খুদোংচাওবা লৌবগা মায় লৈবাক
 ১গী মখা অমদি অসি অরানবা পুরায়গী হুংফম

৫-মসংজেলোং জাংমোং মজলোংগী
ADVANCED COACHING INSTITUTE
 FIRST COME FIRST SERVE
 BATCHES (EVENING)
 4:30-7:50 PM & 11: 7:40 PM

Name of the Newspaper: Hueiyen Lanpao
Date: 20/01/2023 Page No. 5
Title: Setting Up of a National Level Multi State Cooperative Seed Society Under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act 2002
Author: Shri Kh. Rangamlian Aimol, Director(i/c), ICM Imphal

கூட்டுறவு கடன்
நிறுவனங்கள் மூலம்

விவசாயிகள் மேம்பாட்டுக்காக இடுபொருட்கள், கடன் உதவி

மதுரை, ஜன. 20: விவசாய வளர்ச்சிக்கு புதிய கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் உதவி வருகின்றன என்று கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒன்றிய கூட்டுறவு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாட்டில் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் இன்றியமையாத அமைப்பாக இருக்கிறது. நாட்டின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்களிப்பு வழங்குகிறது. நலிவடைந்த, புறக்கணிக்கப்பட்ட பிரிவினரின் மேம்பாட்டிற்கு இச்சங்கங்களை பேணிக்காத்து ஆதரிப்பது அவசியம். கூட்டுறவு கடன் நிறுவனங்கள் அடிமட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவ

துடன், விவசாய இடுபொருட்களையும் வழங்குகின்றன.

இதே போல் கடன் சாரா கூட்டுறவு சங்கங்கள் விவசாயிகளுக்கு விவசாய விளைபொருட்களை சேமித்து சந்தைப்படுத்த உதவுகின்றன. ஒன்றிய அரசின் கூட்டுறவு அமைச்சகம் அதன் சட்டம், கொள்கை, நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள் மூலம் தொடர்ந்து தீவிர முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஒரு கன்னி முயற்சியாக மாதிரி துணைச் சட்டங்களை உருவாக்குதல், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் கணினிமயமாக்கல் நடந்து வருகிறது. கூட்டுறவு

அமைச்சகம் சமீபத்தில் மூன்று மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. மாநில கூட்டுறவு விதைகள் சங்கமானது, தரமான விதைகளின் உற்பத்தி, கொள்முதல், செயலாக்கம், முத்திரை, லேபிளிங், பேக் கேஜிங், சேமிப்பு, சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றிற்கான ஒரு உச்ச அமைப்பாக செயல்படுகிறது. இதே போல், மாநில இயற்கை வேளாண் கூட்டுறவு சங்கமானது, சான்றளிக்கப்பட்ட மற்றும் உண்மையான இயற்கை வேளாண் பொருட்களை வழங்குகிறது. மேலும், மாநில கூட்டுறவு ஏற்றுமதி சங்கமானது உலகளாவிய சந்தைகளில் இந்திய கூட்டுறவுகளின் ஏற்றுமதி திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் சிறந்த விலையை அடைவதற்கும், உபரியிலிருந்து விநியோகிக்கப்படும் டிவிடென்ட் மூலமாகவும் பயனடைய உதவும். இந்தப் புதிய வரவுகள், மாநில அளவிலான விவசாயக் கூட்டுறவுகளின் பலத்தை அதிகரித்து, அவற்றின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்து, அவைகளை வெற்றிகரமான மற்றும் துடிப்பான வணிக நிறுவனங்களாக மாற்றுவதன் மூலம், அகில இந்திய அடிப்படையில் விவசாய கூட்டுறவுகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கும்.

Title : Input and Credit Support through Multi-State Cooperative Societies

Newspaper – DHINAKARAN Tamil Daily, Tamil Nadu | 20.01.2023 | Page No.6 | Circulation – 4,55,873

सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में साबित होंगी मील का पत्थर

विरोध

★ बहुराज्यीय सहकारी समिति -
सहकार से समृद्धि की ओर एक
सराहनीय कदम
भारत एकता टाइम्स, वाराणसी

देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। जिसमें बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति व बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति है। उक्त बातें इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. एसएन झा ने एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा की सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा की उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात

एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। वहीं इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के संकाय सदस्य मनीष कुमार मिश्रा ने कहा की बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्ति, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज पर से देश की निर्भरता कम होगी। बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में साबित होंगी मील का पत्थर

वाराणसी (एसएनबी)। देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। जिसमें बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति व बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति है। उक्त बातें इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक डॉ. एसएन झा ने एक विज्ञप्ति में दी।

उन्होंने कहा की सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उपरोक्त समितियों के गठन के पश्चात एक तरफ जहां हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। वहीं इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के संकाय सदस्य मनीष कुमार मिश्रा ने कहा की बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति द्वारा गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन प्रसंस्करण, उपलब्धता प्राप्ति, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, एवं वितरण से संबंधित कार्य संचालित किये जाएंगे। समिति के माध्यम से देश में आयातित बीज

पर से देश की निर्भरता कम होगी। बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति भी समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। समिति के माध्यम से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा इस समिति के माध्यम से कृषक देश की सहकारी समितियों, सहकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में

बहुराज्यीय सहकारी समिति- सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

सहायक होंगे एवं उच्च निर्यात से वस्तु एवं सेवा उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी हो पायेगा। इस समिति में प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां यथा

प्राथमिक समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजार में उत्पादों की मांग और खपत को अनलॉक करने में मदद करेगी। इन तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति के आ जाने से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी।

बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

[UPCM News](#) January 20, 2023



इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक, डॉ० एस० एन० झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इन अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं।

इन समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के

अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपये के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा।

परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

बीज उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा सहकारिता के माध्यम से

डॉ. किशोर कुमार, निदेशक सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर (कास)। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार देश के कुल कार्यबल का 54.6 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3287 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1393 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बोया गया शुद्ध क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.4 प्रतिशत है। विश्व के कुल भू-भाग में केवल 2.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना आवश्यक होगा। फसलों की उपज और गुणवत्ता में पर्याप्त वृद्धि कई कारकों जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, पौध संरक्षण उपायों और उपयुक्त कृषि प्रणालियों पर निर्भर करती है।

अन्य सभी कृषि आदानों की प्रतिक्रिया काफी हद तक बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। फसल के आधार पर कुल उत्पादन में गुणवत्ता वाले बीजों का प्रत्यक्ष योगदान लगभग 15-20 प्रतिशत है। खराब गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने से फसल उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।

जिसका प्रभाव न केवल किसानों पर पड़ता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। जहां एक ओर किसान बीज का उत्पादन करता है वहीं दूसरी ओर किसान ही बीज का उपभोग करता है अर्थात् उत्पादक व उपभोक्ता दोनों किसान ही है। वर्ष 2017-18 में 352.01 लाख क्विंटल प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज का वितरण किया गया है।

कृषि क्षेत्र में समावेपी विकास के लिए बीज न केवल मुख्य आदान है बल्कि वह कृषि


उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। देश में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन व वितरण के लिए निरन्तर भारत सरकार के स्तर से प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत वर्ष 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति बनाई गई। प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना करने और उसे प्रोत्साहन देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी है। इस सहकारी मिति का नाम "भारतीय सहकारी बीज समिति लिमिटेड" होगा। यह सहकारी समिति संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के साथ-साथ राज्य बीज निगमों एवं देश के कृषि विध्वविद्यालयों की सहायता और उनकी योजनाओं व एजेंसियों के जरिए देश भर की विभिन्न सहकारी

समितियों के माध्यम से सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए किसानों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के साथ-साथ महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

सोसाइटी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 500 करोड़ रुपये होगी और प्रस्तावित सोसायटी का कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा। इसका संचालन क्षेत्र पूरे देश में होगा। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी सहकारी समितियां, जो बीज के उत्पादन से लेकर उसके उपयोग के व्यवसाय में रुचि रखती हैं, प्रस्तावित समिति में सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगी। प्रस्तावित सहकारी समिति सभी स्तरों की सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन

दर, किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज को खेती और बीज किस्म के परीक्षणों में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करने, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में मदद करेगी। यह समिति बीज उत्पादकों को सीधे बीज उपभोक्ताओं को जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगी तथा सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन करते हुए उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए बिचैलियों से किसानों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक होगी।

इससे गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ-साथ किसानों को आप में भी वृद्धि होगी।



बीज उत्पाद के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम है एमएससीएस : डॉ. एसएन झा

एनडीएस संवाददाता

लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना करने और उसे प्रोत्साहन देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) की सहायता और उनकी योजनाओं व एजेंसियों के जरिए देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण, महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास; और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि सहकारी समितियों की ताकत का लाभ उठाने के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को



साकार करने के लिए सफल और ऊर्जावान व्यावसायिक उद्यमों में बदला जाना चाहिए, क्योंकि सहकारी समितियों के पास देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी मौजूद है। पैक्स से एपेक्स प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। इसके उपनियमों के अनुसार, सोसायटी के बोर्ड में इन सभी सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। प्रस्तावित समिति सभी स्तरों की सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर को



बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षणों में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करने, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में मदद करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता बढ़ने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा किसानों की आय में भी वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसके सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश, दोनों से लाभ होगा। बीज सहकारी समिति गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज

किस्म के परीक्षणों, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके एसआरआर, वीआरआर को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के सहकारी ढांचों और अन्य सभी साधनों को शामिल करेगी। राष्ट्रीय स्तर की इस बीज सहकारी समिति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा। आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

News Paper - Nishpaksh Divya Sandesh, Lucknow Edition

Author - Dr. S.N. Jha, Director, IGICM, Lucknow | 21.01.2023 | Page 2 | Circulation – 27,500

बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

पब्लिक एशिया ब्यूरो

लखनऊ। इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक, डॉ.एस.एन.झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंधान की है। इन अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं। इन समितियों के



गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएँ एवं

खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का

निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वाञ्छित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपए के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को

सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजुदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

News Paper - Public Asia, Lucknow Edition

Author - Dr. S.N. Jha, Director, IGICM, Lucknow | 21.01.2023 | Page 1 | Circulation – 25,700

बहुराज्यीय सहकारी समिति - सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा

बरेली(बरेली की आवाज)। इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक, डॉ० एस० एन० झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं।

इन समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन

होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध हो पाएंगे एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी। इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रुपए के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी। पैक्स का

कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा। इस परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

News Paper – Bareilly Ki Awaz, Bareilly Edition

Author : Dr. S.N. Jha, Director, IGICM, Lucknow | 21.01.2023 |

Page 2 | Circulation – 15,105

দেশত প্ৰায় ৮.৫৪ লাখ পঞ্জীভূত সমবায় সমিতি আছে য'ত মুঠতে ২৯ কেটি সদস্য অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে। কৃষকসকল যিহেতু প্ৰাথমিক উৎপাদক আৰু উপভোক্তা তেনেস্থলত বেছিভাগ ভাৰতীয় কৃষকে একেখন সমবায় (প্ৰতিষ্ঠানৰ) সমিতিৰ সদস্য আৰু তেনেক্ষেত্ৰত সমবায় সমিতিবোৰক আকাংক্ষিত বীজ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবেও নিয়োজিত কৰিব পাৰি।

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুমুখী বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেড : এক চমু পৰ্যালোচনা

অলকেশ চক্ৰৱৰ্তী

বিশ্বৰ মুঠ ভূ-খণ্ডৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যি বিশাল জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যাৰ ১৭.৭% ভূমি ক্ষেত্ৰৰ মাত্ৰ ২.৩% অংশ আঙুৰি থকা ভাৰতবৰ্ষই এসময়ত খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগিব। বৰ্ষিত জনসংখ্যাৰ বাবে যিহেতু প্ৰকৃতাৰ্থত খেতি কৰা এলেকা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তেনেস্থলত কৃষি উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। খেতি কৰা মাটিৰ প্ৰতি থাকিব লাগিব একে উৎপাদনশীলতা।

শস্যৰ উৎপাদন আৰু মানদণ্ড যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কেইবাটাও কথাৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভৰ কৰে। যেনে— বীজ, সাৰ, জলসিঞ্চন, উদ্ভিদৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু উপযুক্ত কৃষি-বিজ্ঞানৰ অনুশীলন। আনহাতে, বীজৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰতো বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰে। একে কথাত গুণগত বীজৰ প্ৰত্যেক অৱদান শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উৎপাদন প্ৰায় ১৫-২০% হয় আৰু ইয়াক বৃদ্ধি কৰিব পাৰি অন্যান্য দক্ষ ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে ৪৫% লৈ। নিম্ন মানদণ্ডৰ বীজৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত যি কোনো কৃষি বিজ্ঞান পদ্ধতি আৰু শস্যত প্ৰয়োগৰ ফলত নিম্ন উৎপাদনমুখী শস্যৰ সম্বন্ধীয় হোৱাৰ ফলত ই দেশৰ অৰ্থনীতিত বিৰূপ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটিয়েই হৈছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি। দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ বেছি ভাগেই পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিত নিৰ্ভৰশীল আছিল আৰু বীজৰ প্ৰয়োজনীয়তা Firm Save Seeds অৰ্থাৎ (FSS) ৰ জৰিয়তে ইয়াৰ অভাৱ পূৰণ কৰা হৈছিল ফলত শস্যৰ উৎপাদন অভাৱনীয় ৰূপত আৰু ক্ৰমাগত ধাৰাত হ্রাস পাবলৈ ধৰে।

দেশত প্ৰায় ৮.৫৪ লাখ পঞ্জীভূত সমবায় সমিতি আছে য'ত মুঠতে ২৯ কেটি সদস্য অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে। কৃষকসকল যিহেতু প্ৰাথমিক উৎপাদক আৰু উপভোক্তা তেনেস্থলত বেছিভাগ ভাৰতীয় কৃষকে একেখন সমবায় (প্ৰতিষ্ঠানৰ) সমিতিৰ সদস্য আৰু তেনেক্ষেত্ৰত সমবায় সমিতিবোৰক আকাংক্ষিত বীজ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবেও নিয়োজিত কৰিব পাৰি। সঠিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰি প্ৰতিষ্ঠাপনৰ হাৰ Seed Replacement Rate (SRR) আৰু প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰকাৰ Varietal Replacement Rate (VRR) বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেয়েহে সমবায় শক্তিক গুণৰ দ্বাৰা উপলব্ধ কৰি কৃষকসকলৰ মাজত ইয়াৰ সদস্যতা বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি। উৎপাদন আৰু উন্নত পৰীক্ষা সুবিধা তথা সম্প্ৰসাৰণ আৰু বীজৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু বীজৰ প্ৰতিষ্ঠাপন দেশৰ ভিতৰি আয়শাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় প্ৰতিষ্ঠান যেনে— ভাৰতীয় কৃষক সাৰ সমবায় সমিতি লিমিটেড IFFCO, কৃষক ভাৰতী কো-অপাৰেটিভ লিমিটেড KRIBHCO আৰু নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰেল কো-অপাৰেটিভ মাৰ্কেটিং ফেডাৰেশ্বন অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেড NAFED ৰ সৈতে দুটি আইনী সংস্থা NDDDB ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোৰ্ড আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কো-অপাৰেটিভ ডেভল'পমেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্বন NCDC য়ে পঞ্চাছ কোটি টকা অৰিহণা যোগাবলৈ আঙুৰাই আহিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সকলোৰে বহুমুখী সমবায় বীজ স্থাপন কৰি আৰু প্ৰচাৰ কৰি এনে সং কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হোৱা উচিত। এই সমিতিখন MSCS আইন-২০০২ আৰু নিয়মৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় সমিতি হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব ২০০২ ৰ মৰা আৰু অনুসূচী ১১৬ ৰ অধীনত।

সমিতিখনত ৫০০ কোটি টকাৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত মূলধন থাকিব আৰু ২৫০ কোটি টকাৰ অংশপ্ৰাপ্ত মূলধনৰ সৈতে সমিতিখনৰ স্থাপিত হ'ব। এই সমিতিখনৰ কাৰ্য পৰিসৰ (Area of Operation) ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশখণ্ডেই থাকিব। আৰম্ভণিতে সমবায় সমিতিখনৰ প্ৰস্তাৱিত মুখ্য কাৰ্যালয় থাকিব দিল্লীত। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে সকলো স্তৰৰ সমবায় সমিতি যি বীজৰ ব্যৱসায়ত আগ্ৰহী তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱিত সমবায় সমিতিখনত সদস্য হিচাপে যোগান কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। সমবায় সমিতিৰ সদস্যসকলে

সমাজৰ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে আৰু সহযোগিতামূলক নীতি অনুসৰি কাম কৰিব লাগিব। প্ৰস্তাৱিত সমবায় সমিতিখনে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কৃষি সমবায়ৰ জৰিয়তে PACS আৰু MSCS (Multi State Cooperative Society) পৰ্যায়ত কাম কৰিব। সকলো ধৰণৰ সমবায় গাঁথনি আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ তথা সমূহ ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমবায় সমিতিসমূহৰ যোগেদি এই প্ৰকল্প হাতত লোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

গুণগত মানদণ্ডৰ বীজ লাভ কৰা আৰু সেই বীজসমূহ দুখীয়া কৃষকৰ কাষলৈ পৰবহণ কৰাত এই ধৰণৰ সমবায় সমিতিৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। এনে সমবায়ৰ জৰিয়তে বীজৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা আৰু উন্নত জাতৰ বীজৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থা মূল লক্ষ্য। ইয়াৰ লগত সমবায়ৰ Brand Name ৰ কথাও জড়িত হৈ আছে। সেয়েহে এনে সমবায় সমিতিয়ে উৎপাদন, পৰীক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ সম্পাদন কৰিব লগতে Branding & Labeling ৰ জৰিয়তে গুণগত মানদণ্ডৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু সংৰক্ষণ লগতে পেকেজিংৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। জাতৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন আঁচনি আৰু নীতিৰ সুবিধা লাভ কৰা আৰু সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী দৃষ্টিভঙ্গীৰ জৰিয়তে এক কেন্দ্ৰীভূত প্ৰকাৰৰ আৰু বিশেষ সমৰ্থনযোগে কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ইয়াৰ সংজ্ঞাসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ (ICAR), National Seed Corporation Limited য়ে বীজ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ই হ'ব এক প্ৰকাৰৰ নতুন কৌশল আৰু ইয়াৰ বিকাশৰ জৰিয়তে 'সহকাৰ-চে-সমৃদ্ধি'ৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিব। সুফল উপলব্ধিৰ দ্বাৰা দুয়োটি লাভাধিত হ'ব। উন্নত মানদণ্ডৰ বীজ উৎপাদন আৰু ইয়াৰ উচ্চ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা গুণগত উচ্চ পৰ্যায়ৰ শস্যৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদনশীল বৈচিত্ৰ্য (এইচ.বাই.ডি.) বীজ আৰু লগতে অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ পৰা বিতৰণ কৰা লাভাংশৰ দ্বাৰা সমবায়ৰ উন্নতি আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিৰ হাৰ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা।

এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সকলো স্তৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক তথা জিলা পৰ্যায়ৰ সমবায় সমিতিৰ সৈতে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি উন্নত মানৰ বীজৰ উপলব্ধতা তথা দেশৰ খাদ্য সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাত আৰু কৃষিৰ উৎপাদনশীলতাত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব আৰু লগতে কৃষকসকলৰ উপাৰ্জনো বৃদ্ধি কৰা।

ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত প্ৰাকৃতিক বীজ (Natural Seeds) ক্ৰমাৱৰ্তে সলনি হৈ আহিছে আৰু ত্ৰুত পৰিৱৰ্তিত সময়ত আনুৰাগিক উচ্চ উৎপাদনশীল প্ৰকাৰৰ বীজৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব। এই পৰম্পৰাগত বীজবোৰ সোনকালেই অনুশীলনৰ বাহিৰ হ'ব। এই বীজবোৰ বিলুপ্ত হোৱা প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমবায় সমিতিখনে এনে বীজবোৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে এটা প্ৰণালী বিকশিত কৰিব আৰু তাক স্থাপন কৰিব। অৰ্থনীতি সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত কৃষি পৰিসংখ্যা ২০২০ অনুসৰি আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ পৰিসংখ্যা, অনুসৰি কৃষি খণ্ডৰ অৱদান দেশৰ মুঠ নিযুক্তিত প্ৰায় ৪২.৬০% লগতে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় সংঘৰ (NCUI) দ্বাৰা প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি প্ৰায় নিযুক্তিৰ ১৩.৩০% সমবায় খণ্ডৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত কৃষি আৰু সমবায় খণ্ডত অধিক নিযুক্তি হয়। উন্নত তথা গুণগত মানদণ্ডৰ বীজৰ প্ৰক্ৰিয়াক (Processing), মিলকন (Marketing) আৰু বিতৰণেও (Distribution)ৰ দ্বাৰা সমবায় সমিতিসমূহে অতিৰিক্তভাৱে নিৰুদ্বা সমস্যায় দূৰ কৰিব।

এনেদৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক উৎসাহ প্ৰদান কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সাৰ যোগান ধৰিব পৰাকৈ 'Make In India' প্ৰচাৰ কৰা আৰু নিজৰ দেশক লৈ গৌৰৱ কৰিব পৰা কৈ ভাৰতবৰ্ষক 'আধুনিক ভাৰতলৈ' আগুৱাই যাবলৈ।

Title : Seeds Society | News Paper – Asom Aditya, Assam Edition
Author : Shri Alakesh Chakrabarty, Cooperative Officer, Government of Assam

21.01.2023 | Page 10

Cabinet approves Setting up of three National level Multi State Cooperative Societies under Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act., 2002 viz. National Cooperative Export Ltd., National Level Multi State Cooperative Seed Society and National Level Multi-State Cooperative on Organic Produce

Multi-State Cooperative Organic Society

The total size of world organic food market by retail sales in 2020 was around ₹ 10 lakh crore of which USA, Germany and France contributed to 64%. There are around 34 lakh organic producers in 190 countries with land coverage of 749 lakh hectares (16% of total agricultural land of the world of which Australia has largest land coverage of 357 lakh hectares.

India ranks 4th with 27 lakh hectares of organic land of which 7.6 lakh hectares is in Madhya Pradesh, 3.5 lakh hectares is in Rajasthan and 2.8 lakh hectares is in Maharashtra. Out of total 34 lakh organic producers in the world, 16 lakh are from India. Certified Indian organic product retail sales market is around ₹ 27,000 crore which includes export of ₹ 2,000 crore. India accounts for only 2.70% of world organic market and thus has a huge potential to expand. Growing health and environmental consciousness are the key drivers of demand for organic products which are unique and have niche market among global consumers. Despite having largest number of organic producers in the world, our contribution in organic product market is less due to smaller land holding, poor produce and inadequate yield.

India is bestowed with lot of potential to produce all varieties of organic products due to its diverse agro climatic conditions. In several parts of the country, the inherited tradition of organic farming is an added advantage especially in North Eastern Region (NER), where Sikkim was declared as fully organic state in 2016. There are 9 states having more than 5% of their total area under organic farming. Six of these states are from NER and other three are Madhya Pradesh, Uttarakhand and Goa.

Absence of effective institutional mechanism to promote organic products on sustainable basis, lack of testing and certification facilities at close proximity at affordable cost, scattered & fragmented producer base, inadequate logistic infrastructure facilities, lack of knowledge repository, lack of investment & development, lack of concerted efforts to replicate the successful models of organic farming on all India basis and lack of identification & development of organic cultivation clusters and linking it with markets are main challenges which need to be addressed.

There are 8.54 lakh registered cooperatives in the country having more than 29 crore members especially from the rural areas engaged in activities related to agriculture and allied sector. This strength of the cooperative sector can be utilised for development of organic clusters and its entire supply chain.

Three leading cooperatives viz. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), National Cooperative Consumers' Federation of India Limited (NCCF) and other two national level organizations viz. National Dairy Development Board (NDDB) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have resolved to contribute ₹ 20 crore each and become promoter members for establishing a national level multi-state cooperative society for organic products. The proposed society will have an authorized share capital of ₹ 500 crore and will be established with initial paid-up share capital of ₹ 100 crore. It will have area of operation all over the country. Initially, the registered office will be at NDDB, Head Office, Anand, Gujarat.

The proposed society, will provide institutional support for aggregation, certification, testing, procurement, storage, processing, branding, labelling, packaging, logistic facilities, marketing of organic products and arranging financial assistance to the organic farmers through its member cooperatives including Primary Agricultural Credit Societies (PACS) / Farmers Producer Organizations (FPOs) and will take up all breeder, foundation and certified through PACS by leveraging various schemes and policies of different ministries of Government of India and accredited organic testing labs, who meet the criteria specified by the society to bring end of cost of testing and certification.

The proposed society will manage entire supply chain of organic products produced by cooperatives and related entities through member cooperatives. It will adopt various business models by utilizing brand and marketing network of AMUL and other agencies on a chargeable basis and will develop the same simultaneously on its own. It will utilize the services of national level multi-state cooperative export society being set up under MSCS Act, 2002 for export marketing and thereby enhance reach & demand of organic products in global market. It will facilitate in providing technical guidance, training and capacity building of organic producers and developing & maintaining dedicated market intelligence system for organic products. While promoting organic farming, balanced approach will be maintained between regular mass farming and organic farming.

The proposed society will provide thrust to organic products from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for managing various activities related to organic sector. By providing certified and authentic organic products, it will help in unlocking demand and consumption potential of organic products in domestic as well as in global markets. This proposed society will also help cooperatives and ultimately their member farmers, in getting benefits of high price of organic products through aggregation, branding and marketing at a large scale by facilitating testing and certification at affordable cost alongwith utilization of various related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focussed manner through the 'Whole of Government Approach'. This will also help in achieving the goal of 'Sahakar-se-Samridhi'.

National Level Multi-State Cooperative Seed Society

India with only 2.3% share in world's total land area has to ensure food security of its vast population, which is 17.7% of world population. In view of the fact, that the area under cultivation is unlikely to increase, thrust will have to be on raising productivity per unit of cultivated land.

Substantial increase in yield and quality of crops depends upon a number of factors viz. seeds, fertilizers, irrigation, plant protection measures and suitable agronomic practices. The response of all other inputs depends on quality of seeds to the large extent. It is estimated that the direct contribution of quality seeds to the total production is about 15-20% depending upon the crop and it can be further raised up to 45% with efficient management of other inputs. The use of poor quality seeds nullifies the utility of all agronomic practices and every other input applied to the crop.

For long, Indian farmers were mostly dependent on traditional varieties and seed requirements were met through Farm Saved Seeds (FSS) that resulted in low replacement rates. The use of traditional varieties of seeds coupled with FSS, also results in reduced crop production.

There are 8.54 lakh registered cooperatives in the country having more than 29 crore members. As farmers are both primary producers and consumers of seeds and as majority of the Indian farmers are members of at least one cooperative institution, these cooperatives can also be engaged for achieving desired Seed Replacement Rates and Varietal Replacement Rate (VRR) by providing proper institutional support. Thus, the strength of cooperatives, as available to them by virtue of its large membership base amongst farmers can be harnessed for the purpose of production, expansion of upgraded testing facility and seed variety trials, which may be instrumental in reducing yield gaps.

Three leading national cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Co-operative Limited (KRIBHCO) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) along with two statutory bodies, viz. National Dairy Development Board (NDDB) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have joined hands to contribute ₹ 50 crore each and become promoter members for establishing a national level multi-state cooperative seed society. This society will be registered under MSCS Act and Rules, 2002 and will be notified as a national cooperative society by amending Second Schedule under section 116(1) of the MSCS Act.

The society will have an authorized share capital of ₹ 500 Crore and it will be established with initial paid-up share capital of ₹ 250 Crore. Initially, the office of the proposed society will be located in Delhi. It will have area of operation all over the country. Cooperatives at all levels, including from primary to national, which are interested in seed business will be eligible to join the proposed society as members. The society will function in accordance with cooperative principles for social and economic betterment of its members.

The proposed society will function through Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS), Multi-State Cooperative Societies (MSCS) and federations at district, state and national level by involving all forms of cooperative structures and all other means to increase the SRR, VRR by ensuring the role of farmers in quality seed cultivation and seed variety trials, production and distribution of certified seeds with a brand name as well.

The proposed society will perform its activities with focus on production, testing, certification, procurement, processing, storage, branding, labelling and packaging of all three generations of breeder, foundation and certified through PACS by leveraging various schemes and policies of different ministries of Government of India and accredited organic testing labs, who meet the criteria specified by the society to bring end of cost of testing and certification.

The proposed society will manage entire supply chain of organic products produced by cooperatives and related entities through member cooperatives. It will adopt various business models by utilizing brand and marketing network of AMUL and other agencies on a chargeable basis and will develop the same simultaneously on its own. It will utilize the services of national level multi-state cooperative export society being set up under MSCS Act, 2002 for export marketing and thereby enhance reach & demand of organic products in global market. It will facilitate in providing technical guidance, training and capacity building of organic producers and developing & maintaining dedicated market intelligence system for organic products. While promoting organic farming, balanced approach will be maintained between regular mass farming and organic farming.

The proposed society will provide thrust to organic products from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for managing various activities related to organic sector. By providing certified and authentic organic products, it will help in unlocking demand and consumption potential of organic products in domestic as well as in global markets. This proposed society will also help cooperatives and ultimately their member farmers, in getting benefits of high price of organic products through aggregation, branding and marketing at a large scale by facilitating testing and certification at affordable cost alongwith utilization of various related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focussed manner through the 'Whole of Government Approach'. This will also help in achieving the goal of 'Sahakar-se-Samridhi'.

published by National cooperative Union of India (NCUI), approx. 13.30% of direct employment is generated by cooperative sector. Quality seeds production through this proposed society will increase the agriculture production in the country thereby leading to more employment in the agriculture and cooperative sector. Processing, marketing and distribution of quality seeds will also generate additional employment in these sectors, thus providing boost to rural economic promoting 'Make in India' and leading to Atmanirbhar Bharat.

Multi-State Cooperative Export Society

There are 8.54 Lakh registered cooperatives in the country having more than 29 crore members especially from the marginalised and lower income groups in the rural areas.

Cooperatives have presence in almost all sectors viz agriculture (food grains, pulses, oilseeds, etc.), horticulture (fruits) vegetables, forestry aromatic products, etc., dairy, poultry, livestock, fisheries, sugar, spices (cardamom, pepper, clove, saffron, turmeric, etc.), organic products, fertilizer, handloom/ handicraft, textile, leaf/office, minor forest produce, ayurvedic/herbal medicines, processed food, leather, etc.

Cooperatives contribute substantially in various sectors e.g. cooperatives contribute 28.80% in fertilizer production, 35.00% in fertilizer distribution, 30.60% in sugar production and 17.50% in procurement of marketable surplus of milk in the national economy. Many of these products have a huge demand in many countries but in the absence of an umbrella cooperative society, the export potential of cooperative products/services remains hugely untapped.

Sufficient finance, export orientation, adequate infrastructure, standardization, market awareness, certification products, etc., are some of the factors needed for growth of exports by cooperatives. Proper institutional support for aggregation of exportable domestic surplus, working capital, logistics, technical know-how and training are required by the cooperatives to make significant contribution to the country's export basket. As a result, despite the widespread presence of the Indian cooperative sector and its substantial contribution in the economy, only a few cooperatives are directly involved in exports. For example, though cooperatives contribute to one third of country's total sugar production, direct exports by cooperatives sugar mills is less than 1% of total sugar exports.

Four leading cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) have come together to establish a national level multi-state cooperative export society. This society will be registered under MSCS Act and Rules, 2002 and will be notified as a national cooperative society by amending Second Schedule under section 116(1) of the MSCS Act.

The society will have an authorized share capital of ₹ 2000 Crore and it will be established with initial paid-up share capital of ₹ 500 Crore. It will have area of operation all over the country. Initially, the registered office will be at New Delhi. Cooperatives at all levels, including from primary to national, which are interested in export activities will be eligible to join the proposed society as members. The proposed society will function in accordance with cooperative principles for social and economic betterment of its members through export promotion.

This society will promote exports through various activities including procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research and development, and trading of all types of goods and services produced by cooperatives and related entities. The proposed society will also help in providing finance, provide technical guidance, help in training and capacity building, develop and maintain market intelligence system, as a focussed manner through 'Whole of Government Approach' and undertake any other such activities which will increase exports from the cooperative sector and other related entities.

The national level multi-state cooperative export society will provide thrust to exports from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for carrying out and promoting exports. This will help in unlocking export potential of Indian cooperatives in global markets. This will also help cooperatives in getting benefits of various export related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focussed manner through 'Whole of Government Approach' and undertake any other such activities which will increase exports from the cooperative sector and other related entities.

The national level multi-state cooperative export society will provide thrust to exports from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for carrying out and promoting exports. This will help in unlocking export potential of Indian cooperatives in global markets. This will also help cooperatives in getting benefits of various export related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focussed manner through 'Whole of Government Approach' and undertake any other such activities which will increase exports from the cooperative sector and other related entities.

The national level multi-state cooperative export society will provide thrust to exports from cooperative sector by acting as an umbrella organisation for carrying out and promoting exports. This will help in unlocking export potential of Indian cooperatives in global markets. This will also help cooperatives in getting benefits of various export related schemes and policies of different ministries of Government of India in a focussed manner through 'Whole of Government Approach'. This will also help in achieving the goal of 'Sahakar-se-Samridhi'.

MULTI-STATE COOPERATIVE SEED SOCIETY

CHENNAI

INTRODUCTION

Agriculture plays a vital role in India's economy. 54.6% of the total workforce is engaged in agricultural and allied sector activities. The use of poor-quality seeds nullifies the utility of all agronomic practices and every other input applied to the crop. India with only 2.3% share in world's total land area has to ensure food security of its vast population, which is 17.7% of world population. In view of the fact, that the area under cultivation is unlikely to increase, thrust will have to be on raising productivity per unit of cultivated land.

Indian farmers were mostly dependent on traditional varieties and seed requirements were met through Farm Saved Seeds (FSS) that resulted in low replacement rates. The use of traditional varieties of seeds coupled with FSS, also results in reduced crop production.

The predominant causes for low yield, inter-alia, also include use of low quality seeds by farmers. The inefficient production and delivery system of high quality seeds has led to the presence of large yield gaps. Closing this vital gap will also provide an opportunity to enhance productivity.

OBJECTIVES

The proposal is to set up and promote the national level multi-state cooperative seed society under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, with support from the concerned sectoral Ministries through their policies, schemes and

agencies following 'Whole of Government Approach', for undertaking production and distribution of certified seeds by utilization of network of all levels of cooperatives and arranging financial assistance to the farmers through various schemes of Government. The proposed cooperative society will carry out its activities through production, procurement, processing, branding, labelling, packaging, storage, marketing and distribution of quality seeds in its own brand name through all possible marketing channels.

The proposed society will function through Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS), Multi-State Cooperative Societies (MSCS) and federations at district, state and national level by involving all forms of cooperative structures, thereby improving the agricultural productivity resulting in inclusive development of rural economy, which is the backbone of the country.

MANAGEMENT

Three leading national cooperatives viz. Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Co-operative Limited (KRIBHCO) (Chief Promoter) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) along with two statutory bodies, viz. National Dairy Development Board (NDDB) and National Co-operative Development Corporation (NCDC) have resolved to contribute ₹50 crore each and become promoter members of the seed cooperative society.

It will have area of operation all over the country. Initially, the registered office will be at New Delhi.

Cooperatives at all levels, including from primary to national, which are interested in seed business will be eligible to join the proposed society as members. The proposed society will function in accordance with cooperative principles for social and economic betterment of its members.

The society will be governed by Board of Directors with help of Chief Executive Officer in accordance with its bye-laws and MSCS Act and Rules 2002 as amended from time to time. It will be accountable to its members.

FUTURE BENEFITS

1. Substitute Seed Collection Rate (SRR) and Variety Seed Collection Rate (VRR) will be enhanced through this association.

2. Awareness can be created among the farmers about the production, storage and use of quality seeds and it can be implemented.

3. Production, marketing and distribution of quality seeds under individual name (Brand).

4. Ensure "Food Security for All" by increasing food production through quality seeds.

5. Increase agricultural production and double farmers' income through use of quality seeds.

BY
DIRECTOR AND FACULTY TEAM
Natesan Institute Of Cooperative Management, Anna Nagar, Chennai - 40
(A Unit Of National Council For Cooperative Training, New Delhi, Ministry Of Cooperation, Govt. of India)

UNION CABINET CLEARS PROPOSALS

3 New Co-ops to Help Boost Exports, Seed Availability

National cooperatives for exports and seeds will be set up in New Delhi; cooperative for organic products will be headquartered at A

Rahul.Tripathi@timesgroup.com

New Delhi: The Centre's push to reinvent cooperatives with the Union cabinet clearing proposals for setting up three cooperatives at the national level will help improve exports and availability of quality seeds to farmers, and enhance footprint of organic products in India and outside.

"Many products produced by cooperatives have a huge demand in many countries, but in the absence of an umbrella cooperative society, the export potential of cooperative services remains hugely untapped," a senior government official said.

While national cooperatives for ex-

ports and seeds will be set up in the national capital, the cooperative for organic products will be headquartered at Anand in Gujarat. The cooperation ministry has roped in the external affairs ministry and commerce department to provide support and share studies on demands in foreign countries to help boost cooperatives' exports.

While cooperatives contribute significantly to production in some sectors, their share in exports is miniscule.

For example, cooperatives account for 30.6% of the country's total sugar production, but direct exports by cooperative sugar mills is less than 1% of the total sugar exports, the cooperatives ministry said in a note.

It further noted that cooperatives



FILE PHOTO

contribute substantially to various sectors such as 28.8% in fertiliser production, 35% in fertiliser distribution, and 17.5% in procurement of marketable surplus of milk in the national economy. However, many of them remain underutilised due to lack of in-

frastructure. "The export society will focus on exporting the surpluses available in the country in the cooperative sector by removing such inadequacies," a second official said. "This will enable the farmers to access wider markets."

As per official data, there are estimated 854,000 registered cooperatives in India with more than 1 billion members, particularly the marginalised and low-income groups in rural areas. For organic products, India accounts for 2.7% of world organic market, having the third in the world after Australia and Argentina. It has 1.5 million hectares under cultivation at 2.7 million hectares.

Out of total 3.4 million hectares, 1.5 million are from India, which is the largest producer of organic products. Indian organic product market is estimated to be Rs 27,000 crore, which includes export of Rs 1,000 crore per the cooperation ministry.

Vardhaman Publishers Ltd, Vejalpur, Ahmedabad. Ahmedabad Office: 139, Ashram Road, Ahmedabad-9. Other offices: 7, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-2, 40/1 S&B Towers, M G Road, Bengaluru-1, PO Box No 57, Gloucester GL2DS U K. Ahmedabad. Editor Officer Nos: (079) 25551111. Mumbai-1 EDITOR (AHMEDABAD MARKET) Vinay Pandey (Responsible for selection of news under PRB Act). All rights reserved. © Reproduction in whole or in part without written permission of the publisher is prohibited. RNI NO.: GUJENG/2014/54814.

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करेगा सहकारी बीज

डॉ. अमित मुद्गल, प्रभारी निदेशक
सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल

भारतीय गणराज्य में हमेशा से वसुधैव कुटुम्ब की अवधारणा को महत्व दिया गया है और आदिकाल से सहकारिता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश के साथ साथ समस्त प्रदेशों में भी सहकारी संस्थाएँ आजादी के पूर्व से एवं आजादी के पश्चात् देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। सहकारी संस्थाएँ देश के ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एवं देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होने के कारण हमेशा देश की विभिन्न सरकारों के केन्द्र बिन्दु में रही हैं।

वर्तमान भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता की भावना

एवं अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को भली भाँति न सिर्फ महसूस किया है बल्कि केन्द्र में नया सहकारिता मंत्रालय का गठन कर एवं उसमें एक अनुभवी मंत्री को जवाबदारी देकर देश के सामने सहकारिता के महत्व को बतलाया है।

नवीन सहकारिता मंत्रालय द्वारा जिसके मंत्री माननीय श्री अमित शाहजी ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर देश के सहकारिता क्षेत्र में कदम उठाते हुए अनेकों बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है जिसको मोदी सरकार की मंत्री मण्डल समिति ने भी अनुमोदित किया है। इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों में प्रमुख रूप से सहकारी निर्यात समिति, सहकारी बीज समिति तथा सहकारी जैविक समिति प्रमुख हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये नारे 'सहकार से समृद्धि' एवं 'वोकल फॉर लोकल' को इन बहु राज्याय सहकारी समितियों (मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटी) के द्वारा

सिद्ध किया जाएगा।

चुनौतियों/समस्याएँ:

विश्व के कुल थलीय क्षेत्रफल में मात्र 2.3 प्रतिषत हिस्सेदारी के साथ भारत को अपनी विषाल आबादी जो विश्व की आबादी का लगभग 17.07 प्रतिषत है, के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कृषि जौत क्षेत्र में वृद्धि संभावना नहीं है। अतः जौत भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देना होगा। भारत में कृषि भूमि 15.90 लाख हेक्टेयर (3490 लाख एकड़) है जो कि कुल भूमि का 50.04 प्रतिषत है जो अमेरिका में 17.2 प्रतिषत, रूस में 7.3 प्रतिषत, से सबसे अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60- 65 प्रतिषत कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।

News Paper – Nature India, Bhopal Edition

Author - Dr. Amit Mudgal, ICM, Bhopal | 22.01.2023 | Page No. 6 | Circulation – 1,900

केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी : मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बीज सोसाइटी, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी

नई दिल्ली, 22 जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार जताया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को धृता है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। मगर इतने वर्षों तक इसकी अनदेखी हुई पर यहली बार मोदी सरकार ने इसे सशक्त करने की शुरुआत की। इस क्षेत्र के हित में कैबिनेट में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की तीन मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने के निर्णय लिया है।

1. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बीज सोसाइटी
2. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी
3. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी

यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र को नई शक्ति देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार। श्री अमित शाह ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों की राष्ट्रीय सोसाइटी दुनिया में बढ़ रही ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग को पूरा करने में भारतीय किसानों को असीमित अवसर प्रदान करेगी। साथ ही उत्पादों के परीक्षण व सर्टिफिकेशन देने व उन्हें स्टोर करने, ब्रांडिंग व बेचने के लिए एक अकेला संस्था के रूप में कार्य करेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बीज सोसाइटी किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग व उन्हें बेचने में मदद करेगी व नए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में भी सहायता करेगी। इस सोसाइटी के माध्यम से जो देशी प्राकृतिक बीज विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी देश की लगभग 8.45 लाख समितियों से जुड़ कर उनके उत्पादों को विश्व भर में बेचने, उनकी शमताओं को बढ़ाने व उन्हें एक सफल व्यावसायिक उद्योग बनाने में मदद करेगी। इससे किसानों की आय में तो वृद्धि होगी ही साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

1. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति)

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। **पैक्स से एपेक्स:** प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकती हैं। उपनियमों के अनुसार, इस सभी सहकारी समितियों के समिति बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

यह प्रास्ताविक केन्द्रीय मंत्रालयों के समर्थन से देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं/संयोजों के निर्यात के लिए एक व्यापक (अन्वेष) संगठन के रूप में कार्य करेगी। सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बीज सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी बीज समिति)

पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकती हैं। इसके उपनियमों के अनुसार, सोसाइटी के बोर्ड में इन सभी सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मंडारण, विपणन और वितरण, महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास, और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक प्रगतिशील विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) और किस्म प्रतिस्थापन दर (डीआरआर) को बढ़ावा देगी और उपज औरताल को कम करने एवं उत्पादकता क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।

सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

3. मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी (बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति)

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। **पैक्स से एपेक्स:** प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु-राज्य सहकारी समितियां और किसान, उत्पादक, संगठन (एफपीओ) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इन सभी सहकारी समितियों के उपनियमों के अनुसार सोसाइटी के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।

यह प्रास्ताविक केन्द्रीय मंत्रालयों के समर्थन से जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, जांच, ब्रांडिंग और विपणन के रूप में कार्य करेगी।

सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

കർഷകർക്കായി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ

കാർഷിക മേഖല ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണെന്ന് എല്ലാക്കാലത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം തൊഴിൽ സേനയുടെ 54.6 ശതമാനം പേർ കാർഷിക മേഖലയാണ് തൊഴിൽ തേടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഭൂപ്രദേശം 3287 ഹെക്ടർ ആണെങ്കിൽ 1394 ഹെക്ടർ (42.4%) ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുക എന്നും വിശപ്പു രഹിത ലോകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ്.

രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ (ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 17.7 ശതമാനം) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആവും. അപ്പോൾ ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂട്ടുകയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു.

ഈയൊരു ചുറ്റുപാടിയാണ് ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിത്തിന്റെ ഗുണപരമായ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും

ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദേശ കമ്പോളം തേടുന്നതിനുമായി വിത്തു ലിപാദനത്തിനും, ജൈവകൃഷിക്ക് കയറ്റുമതിക്കുമായി മൂന്ന് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര



സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്.

വിത്തുപാദന-ജൈവാല്പാദന-കയറ്റുമതി സംഘങ്ങൾ

190 രാജ്യങ്ങളിലായി 34 ലക്ഷം ജൈവകർഷകർ 749 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ ആയി ജൈവകൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.

ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി 16 ലക്ഷം കർഷകർ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ കരണങ്ങളാൽ ഉൽപാദനം താ

രതമേന്മ കുറവാണ്. ഭൂമിയുടെ തുണുവൽക്കരണവും വിത്തിന്റെ ഗുണ പരമായ ലഭ്യതയും മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവവും ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇവി

ടെയാണ് പുതിയ സംഘങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യ നിറഞ്ഞ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി വിശേഷം ജൈവ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. എങ്കിലും ജൈവ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2.7% പങ്കു മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 64 ശതമാ

നം പങ്കാണ് ഉള്ളത്.

ഇന്ത്യയുടെ ജൈവ കാർഷിക സാധ്യതകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും ഘടനാപരമായ ഒരു

മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആണ് ഈ സംഘങ്ങൾ രൂപീകൃതമാകുന്നത്.

ഉൽപാദനം മുതൽ ഉപഭോഗം വരെ കർഷകനെ സഹായിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയും, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള മുല്യവർദ്ധനവിനും ശക്തമായ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനും ഇതുവഴി സാധ്യമാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഈ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ വഴി കാർഷിക മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനം നേടുന്നതിനായി ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിന്റെ ലഭ്യത, കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസം, ജൈവകൃഷിക്ക് ഉറപ്പായതും, ഉറച്ച മാർക്കറ്റ്, സംഭരണ സംവിധാനം, സംസ്കരണം, ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്, കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക എന്നാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെടുക്കുന്നത്.

മൂന്നു മേഖലകളിലെ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങൾ അവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിത്തിന്റെ ഉൽപാദനം, ടെസ്റ്റിംഗ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, സംഭരണം സംസ്കരണം, ലാബലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ ഉയർന്ന വിലയും കാർഷിക മേഖലയിൽ ചാലനാത്മകത സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതുതകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഘടന

2022ലെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ദേശീയതലത്തിൽ രൂപീകൃതമായ ഈ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല മൊത്തം രാജ്യ വ്യാപകമായിരിക്കും. ഈ സംഘങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളും, കർഷക ഉൽപാ

ദക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (എജക്ട) അംഗമാകാവുന്നതാണ്. അതുൽ (അബഡാല) എൻ സി സി എഫ് (ചതു ഇഎ) എൻ ഡി ഡി ബി (ചതു ഉആ) എൻ സി ഡി സി (ചതു ഇഇ) എന്നീ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സംഘങ്ങളുടെ പ്രമോട്ടിങ് അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സംഘങ്ങളുടെ മുഖ്യ നന്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും.

സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു സംഘങ്ങൾ വഴി സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സഹകരണം എന്ന തത്വം പ്രായോഗിക വൽക്കരിക്കാനും കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. മൂന്ന് സംഘങ്ങൾ കീടയിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള സഹകരണം (ട്രിഗ്ഗിംഗ് മെന് ഇട്രിഗ്ഗിംഗ്) സൃഷ്ടിക്കുക വഴി കർഷകർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും, ഉൽപാദന ക്ഷമത ഉയർത്താനും, വിദേശ കമ്പോളം പിടിച്ചെടുക്കാനും സാധിച്ചേക്കാം. കാർഷിക മേഖലയിൽ പൊതുവിലും ജൈവാല്പാദന മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവഴി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.

(ശശികുമാർ, എം. വി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്, കണ്ണൂർ 924952650)

Title - Cooperatives to Hand hold Farmers
News Paper – Prabbhat Varta, | 23/01/2023 | Page No. 2

उन्नत बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय में भी वृद्धि



लखन लाल साहू
पूर्व अध्यक्ष एवं
वर्तमान संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी
संघ, रायपुर



जा सकता है। निम्नी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल, सस्यन प्रतिरूपों तथा फसल में लगाए गए अन्य सभी निविष्टियों को उपयोगिता को नगण्य कर देता है।

समाधान किये जाने वाले मुद्दे

आर्थिक रूप से कुल उत्पादन लागत में बीजों की लागत एक बहुत ही छोटा घटक है। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि उच्च आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता के साथ-साथ शारीरिक व स्वास्थ्य गुणवत्ता की दृष्टि से निर्धारित मानकों वाले बीजों का उपयोग किया जाए। सदियों से भारतीय किसान मुख्यतः पारंपरिक किस्मों के बीज पर निर्भर थे, इसलिए बीज आवश्यकताओं को फर्म सेव्ड सीड्स (एफएसएस) द्वारा पूरा किया जाता था जिसका परिणाम बीजों की कम प्रतिस्थापन दर है। बीजों के पारंपरिक किस्मों के साथ फर्म सेव्ड सीड्स (एफएसएस) के उपयोग फसल उत्पादन में कमी होती है। 2.2 अधिकांश फसलों की मौजूदा पैदावार वैश्विक औसत से काफी कम है। इस कम पैदावार के मुख्य कारणों में, अन्य कारणों के अलावा, किसानों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करना भी शामिल है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के अक्षम उत्पादन और वितरण तंत्र के कारण उपज में भारी अंतराल उत्पन्न हुआ है। इस महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करके उत्पादकता में वृद्धि के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

3.1 यह प्रस्ताव, सरकार के समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए सभी मंत्रालयों का, उनकी नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के सहयोग से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके सहकारी सोसाइटियों के सभी स्तरों के नेटवर्क के उपयोग से प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी बीज सोसाइटी को स्थापना और संवर्धन करने का निवेदन करता है। प्रस्तावित सोसाइटी अपने कार्य का संचालन उन्नत बीजों के उत्पादन, प्रापण, प्रसंस्करण, ब्रैंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण तथा सभी संभावित विपणन चैनलों के माध्यम से अपने ब्रांड नाम के तहत विपणन और वितरण द्वारा करेगी।

3.2 प्रस्तावित सोसाइटी, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की सहकारी संरचनाओं, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों (पैकस), बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों, संघों और अन्य सभी माध्यामों से एसआरआर, वीआरआर को बढ़ाने हेतु किसानों की भूमिका सुनिश्चित करते हुए उन्नत बीजों की खेती व बीज किस्मों के परीक्षणों के साथ-साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में ब्राण्ड नाम के साथ भी अपना कार्य करेगी।

3.3 प्रस्तावित सोसाइटी गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए सहकारी समितियों की क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास होगा, जोकि देश की रीढ़ है।

4. लाभार्थी

4.1 सहकारी समितियों के 29 करोड़ सदस्य जोकि बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदायों, सीमांत एवं निम्न आय वर्ग से हैं।

5. विधिक ढांचा

5.1 बहुराज्य सहकारी बीज समिति को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम एवं नियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।


5.2 राष्ट्रीय सहकारी समितियां एमएससीएस अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची के तहत पंजीकृत हैं,

जोकि विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देती हैं। केंद्र सरकार को एक अधिसूचना द्वारा एमएससीएस अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है।

5.3 चूंकि सहकारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से ऊपर है, इसलिए प्रस्तावित सोसाइटी को सरकार के समस्त दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए सभी क्षेत्रीय मंत्रालयों के सहयोग से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके सहकारी सोसाइटियों के सभी स्तरों के नेटवर्क के उपयोग से प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु समर्थन की आवश्यकता होगी। भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ सहकारी समितियों को एकीकृत करने की इच्छा है और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों को पत्र भेजा गया था।

6. कार्यप्रणाली : 6.1 प्रस्तावित सोसाइटी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से केन्द्रित तरीके से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के माध्यम से लाभ उठाते हुए बीजों की तीनों पीढ़ियों, अर्थात् प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, प्रापण, प्रसंस्करण, ब्राण्डिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। एक ओर इससे सहकारी सोसाइटियों की समावेशी विकास मॉडल द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्ति में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर उन्नत बीजों के उत्पादन और उच्च उपज किस्मों के बीजों के उपयोग द्वारा फसलों के अधिक उत्पादन से सदस्यों को बेहतर कीमत की प्राप्ति के साथ-साथ सोसाइटी द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। 6.2 प्रस्तावित सोसाइटी सहकारी सोसाइटियों के सभी स्तरों के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर, उच्च गुणवत्ता वाली बीजों की खेती और बीज किस्मों के परीक्षण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण को बढ़ाने में मदद करेगी।

एनसीसीटी की प्रशिक्षण इकाइयां



- ❤ एनसीसीटी मुख्यालय
- 🟡 वैमनीकॉम
- 🟢 आरसीएम
- 🟠 आईसीएम



राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक स्वायत्त संस्था)

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, तीसरा तल, एनसीयूओई बिल्डिंग, नई दिल्ली –110016



011-41096510



secy-ncct@gov.in



www.ncct.ac.in